List of Content

S.No.	Particular	Page No.
1.	Number of Programmes Year wise	02-04
2.	Copy of MoM Attested by Registrar for starting of Programmes	05-52
3.	Approval of University Management to Establish Constituent College	53-54
4.	Copy of Order issued for establishing college	55

1.1 Number of programmes offered year wise for last five years

Year - 1 (2014-15)

Program Code	Program Name	Year of offering
DLITT	D.Litt.	1991
PHDJCRP	Ph.D. in Jainology and Comparative Religion & Philosophy	1991
PHDPKT	Ph.D. Prakrit and Sanskrit	1991
PHDYSOL	Ph.D. Yoga and Science of Living	1991
PHDNVP	Ph.D. Nonviolence and Peace and Political Science	1991
PHDSW	Ph.D. Social Work	1996
PHDEDU	Ph.D. Education	2007
PHDENG	Ph.D. English	2008
MAJACRAPR	M.A in Jainology and Comparative Religion & Philosophy	1990
MAPKTR	M.A.Prakrit	1991
MASKTR	M.A.Sanskrit	2007
MAYASOLR	MA Yoga and Science of Living	1991
MSWR	Master of Social Work	1996
MAENGR	M A English	2008
MANVPR	M.A. in Nonviolence and Peace	1991
MAPOLSCR	M.A. in Political Science	2012
BEDR	B.Ed.	2005
MEDR	M.Ed.	2007
BCOMR	B.COM	2004
BAR	B.A.	1998

Year - 2 (2015-16)

DLITT	D.Litt.	1991
PHDJCRP	Ph.D. in Jainology and Comparative Religion & Philosophy	1991
PHDPKT	Ph.D. Prakrit and Sanskrit	1991
PHDYSOL	Ph.D. Yoga and Science of Living	1991
PHDNVP	Ph.D. Nonviolence and Peace and Political Science	1991
PHDSW	Ph.D. Social Work	1996
PHDEDU	Ph.D. Education	2007
PHDENG	Ph.D. English	2008
MAJACRAPR	M.A in Jainology and Comparative Religion & Philosophy	1990
MAPKTR	M.A.Prakrit	1991
MASKTR	M.A.Sanskrit	2007
MAHINDIR	M.A. Hindi	2015
MAYASOLR	MA Yoga and Science of Living	1991
MSWR	Master of Social Work	1996
MAENGR	M A English	2008
MANVPR	M.A. in Nonviolence and Peace	1991
MAPOLSCR	M.A. in Political Science	2012
BEDR	B.Ed.	2005
MEDR	M.Ed.	2007
BCOMR	B.COM	2004
BAR	B.A.	1998

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

Year - 3 (2016-17)

DLITT	D.Litt.	1991
PHDJCRP	Ph.D. in Jainology and Comparative Religion & Philosophy	1991
PHDPKT	Ph.D. Prakrit and Sanskrit	1991
PHDYSOL	Ph.D. Yoga and Science of Living	1991
PHDNVP	Ph.D. Nonviolence and Peace and Political Science	1991
PHDSW	Ph.D. Social Work	1996
PHDEDU	Ph.D. Education	2007
PHDENG	Ph.D. English	2008
MAJACRAPR	M.A in Jainology and Comparative Religion & Philosophy	1990
MAPKTR	M.A.Prakrit	1991
MASKTR	M.A.Sanskrit	2007
MAHINDIR	M.A. Hindi	2015
MAYASOLR	MA Yoga and Science of Living	1991
MSWR	Master of Social Work	1996
MAENGR	M A English	2008
MANVPR	M.A. in Nonviolence and Peace	1991
MAPOLSCR	M.A. in Political Science	2012
BEDR	B.Ed.	2005
MEDR	M.Ed.	2007
BABEDR	B.A.-B.Ed.	2016
BSCBEDR	B.Sc.-B.Ed.	2016
BCOMR	B.COM	2004
BAR	B.A.	1998

Year - 4 (2017-18)

DLITT	D.Litt.	1991
PHDJCRP	Ph.D. in Jainology and Comparative Religion & Philosophy	1991
PHDPKT	Ph.D. Prakrit and Sanskrit	1991
PHDYSOL	Ph.D. Yoga and Science of Living	1991
PHDNVP	Ph.D. Nonviolence and Peace and Political Science	1991
PHDSW	Ph.D. Social Work	1996
PHDEDU	Ph.D. Education	2007
PHDENG	Ph.D. English	2008
MAJACRAPR	M.A in Jainology and Comparative Religion & Philosophy	1990
MAPKTR	M.A.Prakrit	1991
MASKTR	M.A.Sanskrit	2007
MAHINDIR	M.A. Hindi	2015
MAYASOLR	MA Yoga and Science of Living	1991
MSWR	Master of Social Work	1996
MAENGR	M A English	2008
MANVPR	M.A. in Nonviolence and Peace	1991
MAPOLSCR	M.A. in Political Science	2012
BEDR	B.Ed.	2005
MEDR	M.Ed.	2007
BABEDR	B.A.-B.Ed.	2016
BSCBEDR	B.Sc.-B.Ed.	2016
BCOMR	B.COM	2004
BAR	B.A.	1998
BSCR	B.Sc.	2017

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

Year - 5 (2018-19)

DLITT	D.Litt.	1991
PHDJCRP	Ph.D. in Jainology and Comparative Religion & Philosophy	1991
PHDPKT	Ph.D. Prakrit and Sanskrit	1991
PHDYSOL	Ph.D. Yoga and Science of Living	1991
PHDNVP	Ph.D. Nonviolence and Peace and Political Science	1991
PHDSW	Ph.D. Social Work	1996
PHDEDU	Ph.D. Education	2007
PHDENG	Ph.D. English	2008
MAJACRAPR	M.A in Jainology and Comparative Religion & Philosophy	1990
MAPKTR	M.A.Prakrit	1991
MASKTR	M.A.Sanskrit	2007
MAHINDIR	M.A. Hindi	2015
MAYASOLR	MA Yoga and Science of Living	1991
MSWR	Master of Social Work	1996
MAENGR	M A English	2008
MANVPR	M.A. in Nonviolence and Peace	1991
MAPOLSCR	M.A. in Political Science	2012
BEDR	B.Ed.	2005
MEDR	M.Ed.	2007
BABEDR	B.A.-B.Ed.	2016
BSCBEDR	B.Sc.-B.Ed.	2016
BCOMR	B.COM	2004
BAR	B.A.	1998
BSCR	B.Sc.	2017

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं

(मान्य विश्वविद्यालय)

विद्या परिषद की बैठक की कार्यवाही का विवरण पत्र

आज दिनांक 28-07-1993 को प्रातः 9.00 बजे कुलपति प्रो० रामजी सिंह की अध्यक्षता में विद्या परिषद की तृतीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न-लिखित सदस्य उपस्थित थे :-

1- प्रो० रामजी सिंह	कुलपति
2- डॉ० सी. एल. तलेसरा	सदस्य
3- डॉ० सागरमल जैन	सदस्य
4- डॉ० एस. सी. जैन	सदस्य
5- डॉ० देव कोठारी	सदस्य
6- डॉ० राय अश्विनीकुमार	सदस्य
7- डॉ० दशरथ सिंह	सदस्य
8- डॉ० देवनारायण शर्मा	सदस्य
9- डॉ० के. कुमार	सदस्य
10- डॉ० बच्छराज दूगड़	सदस्य
11- प्रो० विश्वनाथ मिश्रा	सदस्य
12- डॉ० जे. पी. एन. मिश्रा	सदस्य
13- श्री जगतराम भट्टाचार्य	सदस्य
14- डॉ० आर. के. मित्तल	सदस्य
15- डॉ० नलिन के. शास्त्री	सदस्य सचिव

डॉ० चिनू भाई नायक ने अनुपस्थिति के लिये अनुमति चाही है।

उक्त बैठक में जो कार्यवाही हुई एवं निर्णय लिये गये, वे निम्न प्रकार से है :-

1- गत बैठक की कार्यवाही सन्तुष्ट की गई।

2- स्नातकोत्तर में प्राकृत भाषा एवं साहित्य, जैन विद्या, जीवन विज्ञान एवं प्रेक्षा ध्यान और अहिंसा एवं शान्ति शोध के पाठ्यक्रम सत्र वर्ष, 93 से 95 के लिये उन विभागों की अलग-अलग पाठ्यक्रम समितियों द्वारा स्वीकृत अनुशंसा के अनुसार विद्या परिषद की बैठक में उपस्थित किया गया और कुछ संशोधनों के साथ उनकी सर्व-सम्मति से स्वीकृत किया गया।

क्रमशः—2

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

3- पत्राचार और ००० मुक्त पाठ्यक्रम बेचलर स्तर पर पत्राचान और मुक्त पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत विभिन्न विषयों को पाठ्यक्रम समितियों के द्वारा स्वीकृति और अनुमोदित पाठ्यक्रमों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकृत किया गया :-

क- बी. ए. हिन्दी, अंग्रेजी, जीवन विज्ञान और जैन विद्या, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, पत्राचार और मुक्त पाठ्यक्रम में।

ख- बी. एस. सी. पारिस्थितिकी और पर्यावरण-10 जमा दो पास करने के बाद।

ग- बी. एस. सी. स्तर पर कम्प्यूटर विज्ञान, केवल पत्राचार द्वारा 10 जमा 2 उत्तीर्ण होने पर।

घ- व्यापार प्रबन्धन केवल पत्राचार - दस जमा दो पास करने के बाद।

कुछ सदस्यों को यह सुझाव मान्य किया गया कि यदि वित्तीय प्रबन्ध हो जाय तो कला क्षेत्र में संस्कृत, प्राकृत में भी वैकल्पिक विषय के रूप में भी पाठ्यक्रम शुरू किया जाए।

4- यह तय हुआ कि बी. ए. पत्राचार पाठ्क्रम से ००० गत वर्ष और इस वर्ष से प्रारम्भिक जांच परीक्षा और प्रारम्भिक पाठ्य सामग्री का प्रावधान हटा दिया जाय तो अन्य सभी पाठ्यक्रमों में समान रूप से तीन वर्षों में तीन परीक्षा में आयोजित की जाय।

5- यह सूचना दी गई कि वैदिक और जैन दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए शोध कार्य के लिए प्रावधान हुआ है। विद्या परिषद इसका स्वागत करती है।

6- शोध मण्डल की अनुशंषा के आधार पर निम्नलिखित विषयों में पी-एच. डी. की उपाधि हेतु शोध कार्य प्रवृत्त किये जाने की स्वीकृति दी गयी--

1- जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन

2- प्राकृत एवं संस्कृत

3- जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान एवं योग

4- अहिंसा एवं शांति

5- शिक्षा

यह भी स्वीकृत किया गया कि आने वाले कालखण्ड में नये विषयों में पी-एच. डी. की उपाधि के निमित शोध ०० कार्य कराये जा सकेंगे तथा उन पर भी यही नियम लागू होंगे।

क्रमशः--3

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

7- वर्ष 1991 यानि विश्वविद्यालय बनने के पूर्व जैन विश्व भारती में जो भी विद्यार्थी एम. ए./एम. एस. सी. में उतीर्ण हुए है, उनके लिए अगले 2 वर्षों में विशेष परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। यदि वे विद्यार्थी विश्वविद्यालय की इन स्नातकोत्तर परीक्षाओं में उतीर्ण हो जाते है तो उनको विश्वविद्यालय का उतीर्ण विद्यार्थी मान लिया जाएगा।

8- जीवन विज्ञान में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम स्वीकृत किया गया और उसकी 1993 की परीक्षा की स्वीकृति दी गई। इसमें संशोधन के लिए भी कुछ सुझाव आये, और यह निर्णय लिया गया कि इसे जीवन विज्ञान की पाठ्यक्रम समिति के पास भेजा जाय।

9- विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं अधिकारियों की नियुक्ति के लिए विशेषज्ञों के लिए पहले के नामों में 2 नाम और जोड़े गये :—

1- डॉ० रामलाल पारीक

2- प्रो० एस. एन. तिन्हां।

इसके अतिरिक्त कुलपति को अधिकृत किया गया कि वे अन्य नाम भी सूची में जोड़ लेवे।

10- कई अध्यापकों ने शोध नियमावली में परिवर्तन की बातों को रखा, जिस पर यह निर्णय किया गया कि इस पर अगली बैठक में विचार किया जा सकता है।

अन्त में कुलसचिव ने सभी आगन्तुक सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया गया और मीटिंग समाप्ति की घोषणा की।

28.07.93

(डॉ० नलिन के. शास्त्री)

कुलसचिव

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

]]

(21)

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं
[मान्य विश्वविद्यालय]

-दिनांक 24.03.96 को आयोजित विद्या परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त -

दिनांक 24.03.96 को प्रातः 10.30 बजे विद्या परिषद् की बैठक कुलपति श्री मोहनसिंह भंडारी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी । इस बैठक में निम्न लिखित सदस्य उपस्थित थेः-

1.	श्री मोहनसिंह भंडारी	अध्यक्ष
2.	मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी	सदस्य
3.	डॉ0 नथमल टाँटिया	सदस्य
4.	डॉ0 अमरनाथ पाण्डेय	सदस्य
5.	डॉ0 सी. एस. नेनावटी	सदस्य
6.	डॉ0 प्रेमसुमन जैन	सदस्य
7.	डॉ0 प्रदीप महनोत	सदस्य
8.	डॉ0 एन. के. सिंघवी	सदस्य
9.	डॉ0 धर्मचन्द भंसाली	सदस्य
10.	डॉ0 धर्मचन्द जैन	सदस्य
11.	डॉ0 राय अश्विनीकुमार	सदस्य
12.	डॉ0 आर. के. ओझा	सदस्य
13.	डॉ0 बी. बी. रानाडे	सदस्य
14.	डॉ0 बी. आर. पुरोहित	सदस्य
15.	डॉ0 बी. आर. दुगड़	सदस्य
16.	डॉ0 जे. आर. भट्टाचार्य	सदस्य
17.	डॉ0 जे. पी. एन. मिश्रा	सदस्य
18.	डॉ0 एच. एस. पाण्डेय	सदस्य
19.	डॉ0 ए. के. जैन	सदस्य
20.	समणी स्थितप्रज्ञा	सदस्य
21.	श्री अनिलदत्त मिश्रा	सदस्य
22.	समणी प्रतिभाप्रज्ञा	विशेष आमंत्रित
23.	डॉ0 टी. एम. दक, कुलसचिव	गैर सदस्य सचिव

[बैठक में कुछ समय के लिए महाश्रमण मुनि मुदितकुमार जी ने भाग लिया, जिसके लिए सभी सदस्यों ने उनका आभार प्रकट किया ।

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए नये सदस्यों यथा डॉ0 नथमल टाँटिया, डॉ0 एन.के. सिंघवी एवं डॉ0 बी.आर. पुरोहित का सभी से परिचय कराया । उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि आज की बैठक में उपस्थिति बहुत अच्छी है । उन्होंने बाहर से आने वाले सदस्य-गणों के प्रति विशेष आभार प्रकट किया । पिछली बैठक में संस्थान की गतिविधियों की उनके द्वारा की गई विस्तृत चर्चा की ओर ध्यान दिलाते हुए कुलपति महोदय ने बताया कि संस्थान की समस्त गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही है तथा पिछले वर्ष के परीक्षा परिणाम काफ़ी उत्साहवर्द्धक रहे है तथा अनुशासन की पालना अच्छी तरह से की जा रही है । उन्होंने बताया कि संस्थान में अनेक नये विद्वान तथा अधिकारी

...2

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

आये है, जिससे संस्थान की शैक्षणिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों को बल मिलेगा । अब तक की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कुलपति महोदय ने बताया कि अब तक उत्तीर्ण कुल विद्यार्थियों में आधी से अधिक समणियां/मुमुक्षु बहिनें है और कुल 6 मेट पास करने वालों में उनकी संख्या 5 है । उन्होने बताया कि 2 पंजीकृत शोधार्थियों ने अपनी थीसिस प्रस्तुत करदी है तथा शीघ्र ही दो और थीसिस प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है । आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रत्येक विभाग में 2-3 शोध छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गये :-

1.0 कुलपति महोदय ने बताया कि चूंकि पिछली बैठक की कार्यवाही के विषय में - किसी भी सदस्य की असहमति या टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, उसे सम्पुष्ट माना जाए । सभी सदस्यों ने इससे सहमति व्यक्त की ।

2.0 संस्थान में सत्र 1996-97 से प्रस्तावित संस्कृत और दर्शनशास्त्र विषय में एम.ए. पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए अध्ययन मंडल द्वारा तैयार किये गये पाठ्यक्रम को स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार इसलिए स्थगित कर दिया गया क्योकि कुलपति ने बताया कि अभी तक प्रबन्ध मण्डल इस पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का प्रबन्ध नहीं कर पाया है ।

3.0 (क) सत्र 1996-97 से समाज कार्य विषय में एम.ए. का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में दो विद्वानों से प्रतिवेदन के मुख्य बिन्दुओं पर विचार-विमर्श हुआ । सर्वप्रथम समणी स्थितप्रज्ञा ने कहा कि इस विभाग के प्रारम्भ होने से अहिंसा, शांति एवं अणुव्रत विभाग पर प्रभाव पड़ेगा । इसी तरह अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार प्रकट किये । कुछ सदस्यों द्वारा इस विभाग के प्रारम्भ किये जाने के कारण अन्य विभागों, विशेषकर अहिंसा, शांति तथा अणुव्रत विभाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की गयी । पर मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी तथा कुलपति महोदय ने ऐसी आशंकाओं का समाधान करते हुए इस विषय के महत्व पर प्रकाश डाला तथा बताया कि इससे हमारे लक्ष्य की पूर्ति होगी और संस्थान की सामाजिक उपयोगिता भी सिद्ध हो सकेगी ।

विद्या परिषद ने समाज कार्य में एम.ए. के पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने की सैद्धान्तिक अनुमति दी और इस बात पर जोर दिया कि इससे वर्तमान में कार्यरत विभागों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ने पाये ।

...3

Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

(20)

(ख) समाज कार्य के लिए निम्नलिखित सदस्यों के अध्ययन मण्डल के गठन को भी विद्या परिषद ने अनुमति प्रदान की:-

1. डॉ० सी.पी. गोयल, अध्यक्ष
2. डॉ० आर.आर. सिंह, सदस्य
3. डॉ० मुती फिर सिंह, सदस्य
4. डॉ० के.डी. गंगराड़े, सदस्य
5. डॉ० एन.के. सिंघवी, सदस्य
6. डॉ० बी.आर. डुगड़, सदस्य
7. डॉ० टी.एम. दक, सदस्य

इसके अलावा श्री सिद्धराज ढड्ढा जैसे सामाजिक कार्यकर्त्ता से भी इस पर परामर्श लिया जाये तो अच्छा रहेगा । अध्ययन मण्डल द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण होने पर परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए ।

4. विद्या परिषद ने सत्र 1996-97 से राजनीति विज्ञान विषय में एम.ए. का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं हुआ ।

5. अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार किये गये पत्राचार द्वारा दर्शनशास्त्र विषय में बी.ए. के पाठ्यक्रम को विद्या परिषद ने स्वीकृति प्रदान करदी ।

6. स्नातक स्तरीय पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थानी भाषा को सम्मिलित करने का विद्या परिषद ने पिछली बैठक में निर्णय लिया था, उसके लिए निम्न अध्ययन मण्डल के गठन का अनुमोदन किया गया:-

1. डॉ० कृष्ण शर्मा
2. डॉ० किरण भाटिया
3. डॉ० सी.एम. व्यास
4. डॉ० पी.एम. राका
5. डॉ० देव कोठारी
6. श्री विजय दान

7. विद्या परिषद ने स्नातक स्तर पर व्यवसाय प्रबन्धन में त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम (पत्राचार द्वारा) को स्थगित रखने का निर्णय किया।

8. जुलाई, 1996 से प्रारम्भ होने वाले सत्र से जैन विश्वभारती संस्थान को सह-शिक्षा के केन्द्र के स्थान पर केवल नारी शिक्षा के केन्द्र में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं हुआ ।

9. संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री के प्रारूप को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया ।

Registrar

.....4

Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

10. संस्थान के छात्र-छात्राओं में मुमुक्षु समणी तथा साध्वी वर्ग के सदस्य भी शामिल है । मुमुक्षुओं को समणी/साध्वी बनाये जाने पर उनके नाम में परिवर्तन कर दिया जाता रहा है । अतः संस्थान की उपाधि में उनका नाम लिखे जाने के सम्बन्ध में विद्या परिषद ने निर्णय लिया कि उनमें वर्तमान नाम का उल्लेख किया जाये तथा कोष्ठक में परिवर्तित नाम का उल्लेख हो । यथा पूर्ववर्ती मुमुक्षु पुष्पा को अभी समणी पुनीत प्रज्ञा के नाम से संबोधित किया जाता है । ऐसी स्थिति में उपाधि में निम्न नाम लिखा जाये : " समणी पुनीत प्रज्ञा (पूर्ववर्ती मुमुक्षु पुष्पा) "

11. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव रखा कि पत्राचार पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होने वाले अथवा अनुपस्थित होने वाले छात्रों को कुल 6 अवसर प्रदान किये जाय । विद्या परिषद ने निर्णय लिया कि प्रोसपेक्टस में जो शर्तें दी गयी है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाय । नये छात्रों के लिए विद्या परिषद ने इस प्रस्तावित परिवर्तन को अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

12. संस्थान में कम्प्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट कोर्स चलाने के प्रस्ताव को विद्या परिषद ने सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर दिया और कुलपति को अधिकृत किया कि वे पाठ्यक्रम समिति का निर्माण करें और उनके परामर्श के पश्चात् यह कोर्स प्रारम्भ करें ।

अन्त में कुलपति महोदय ने माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया ।

(डॉ० टी.एम.दक)
कुलसचिव,

दिनांक: 27.03.96

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं – 341 306
(मान्य विश्वविद्यालय)

दिनांक 08 अगस्त 2003 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 08 अगस्त 2003 को प्रातः 11.30 बजे माननीया कुलपति श्रीमती सुधामही रघुनाथन की अध्यक्षता में संस्थान के नई दिल्ली कार्यालय (द्वितीय तल, नेहरू हाउस, 4–बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110 002 में संस्थान की विद्या परिषद की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :–

1. श्रीमती सुधामही रघुनाथन, कुलपति	अध्यक्षा
2. डॉ. अशोक जैन	सदस्य
3. डॉ. बच्छराज दूगड़	सदस्य
4. डॉ. हरिशंकर पाण्डेय	सदस्य
5. प्रो. मुसाफिर सिंह	सदस्य
6. समणी डॉ. स्थितप्रज्ञा	सदस्य
7. डॉ. जे.पी.एन. मिश्रा	सदस्य
8. समणी ऋजु प्रज्ञा	सदस्य
9. श्री आशुतोष प्रधान	सदस्य
10. प्रोफेसर नरेन्द्र भण्डारी	सदस्य
11. प्रोफेसर महावीर राज गेलडा	सदस्य
12. प्रोफेसर एम.पी. लेले	सदस्य
13. सुश्री वीणा जैन	विशेष आमंत्रित सदस्य
14. डा. आनन्द प्रकाश त्रिपाठी	विशेष आमंत्रित सदस्य
15. डा. जगतराम भट्टाचार्य,	सदस्य एवं कुलसचिव – गैर सदस्य सचिव

1. सर्वप्रथम माननीया कुलपति महोदया ने बैठक में आगन्तुक महानुभावों का स्वागत किया।
2. संस्थान के संविधान के भाग – II की धारा 10 (A) (h) के तहत पॉच विशिष्ट ज्ञानी, परन्तु शैक्षिक वर्ग के सदस्य न हो उन्हें विद्या परिषद द्वारा सहवरित (Co-opted) किये जाने के सम्बन्ध में विद्या परिषद ने 1. सुश्री वीणा जैन, उप कुलसचिव (परीक्षा) 2. डॉ. आनन्द प्रकाश त्रिपाठी, उप निदेशक (दूरस्थ शिक्षा विभाग) को ex-officio के रूप में सहवरित (Co-opted) किये जाने की अनुशंसा की एवं अन्य तीन सदस्यों के बारे में अनुशास्ता की दृष्टि लेकर 1.प्रोफेसर एम.एम.पन्त, नई दिल्ली 2 प्रोफेसर वीर राघवन, नई दिल्ली एवं 3 प्रोफेसर लक्ष्मी, नई दिल्ली को सहवरित किया गया।

   इस बिन्दु के साथ–साथ यह भी चिन्तन किया गया कि उप कुलसचिव (परीक्षा) निदेशक,/उप निदेशक (दूरस्थ शिक्षा विभाग) एवं constituted college के प्राचार्य एवं अन्य कोई और शैक्षिक विभाग हों तो उनके विभागाध्यक्षों को भी विद्या परिषद के स्थाई सदस्य के वर्ग में स्वीकृत किया जाये। इसके लिए Memorandum and Articles of Association में परिवर्तन करवाये जाने का प्रयत्न किया जाये।

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

3- (1) Understanding Religions का पत्राचार एवं नियमित त्रैमासिक प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने एवं इसकी मूल्यांकन पद्धति को निर्धारित करने के लिए कुलपति महोदया को अधीकृत किया गया।

(2) प्राकृत भाषा एवं आगम साहित्य एवं **Jain Religion and Philosophy** के त्रैमासिक प्रमाण पत्र पाठयक्रम को स्वीकृत किया गया। इन्हें पत्राचार पाठयक्रम के माध्यम से प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा इसके प्रवेश, परीक्षा प्रणाली, सर्टिफिकेट का स्वरूप निर्धारण करने के लिए कुलपति महोदया को अधीकृत किया गया।

4. English Communication Skills - का 6 माह का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के लिए विद्या परिषद ने स्वीकृति प्रदान की तथा इसके विस्तृत पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली एवं सर्टिफिकेट के स्वरूप को अन्तिम रूप देने के लिए कुलपति महोदया को अधीकृत किया गया।

5. जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान एवं योग विषय के एम.ए./एम.एस–सी नियमित पाठ्यक्रम में सत्र 2002–2003 से कुछ परिवर्तन किया गया है। इसमें कुछ अंश ऐसे जोडे गये हैं जिनसे विद्यार्थियों को इस विषय का प्रायोगिक ज्ञान अधिक कराया जा सके और उपयोगी बनाया जा सके।

उपलब्ध पाठ्यक्रम के प्रत्येक पत्र में जो जो परिवर्तन किए गये है उनको डा. समणी स्थित प्रज्ञा जी ने विद्या परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किये। जिन्हें स्वीकृत कर लिया गया। पाठ्यक्रम के आठवें पत्र के परिवर्तित अंश के बारे में Mental Hospitals में जाकर विद्यार्थी प्रेक्षाध्यान के प्रयोग करायेंगे एवं इसका परिणाम देखेगे तो विद्या परिषद ने यह निर्णय लिया कि जो संशोधित पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है उसे **experiment** के रूप में 2–3 वर्षो के लिए स्वीकृत किया जाता है। इसके बाद इसके परिणाम देख लिए जाए फिर जैसा उचित लगे उसमें संशोधन कर लिया जाए।

6- बी.ए. नियमित पाठ्यक्रम में अन्य विषय अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, वाणिज्य गृहविज्ञान आदि को जोडे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि यदि प्रबन्ध मण्डल द्वारा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत होते है तो इन विषयों को प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति विद्या परिषद द्वारा दी जाती है। साथ ही यह भी स्पष्ट निर्देश दिया कि जो भी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाए उनका उद्देश्य एवं उपयोगिता स्पष्ट होनी चाहिए। विद्या परिषद ने इन विषयों के अध्ययन मण्डल बनाने, अध्ययन मण्डल द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने के लिए कुलपति महोदया को अधीकृत किया तथा इसे विद्या परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

7- स्नातक प्रथम वर्ष (नियमित) पाठ्यक्रम में Six Months Module Syllabus for Environmental Studies सत्र 2003–2004 से प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति दी। इसे यू. जी.सी. के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में प्रारम्भ किये जाने की बाध्यता है।

8. बी.ए. के नियमित पाठ्यक्रम की छात्राओं के लिए नियमित पाठ्यक्रम के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व निर्माण हेतु जीवन विज्ञान विषय के कुछ आधारभूत तत्व एवं प्रायोगिक अंश को जोड़े जाने हेतु Personality Development Certificate पाठयक्रम जो अध्ययन मण्डल द्वारा निर्मित किया गया उसे स्वीकृत किया गया इस संशोधन के साथ कि इसके तीन वर्षों के पाठ्यक्रम को दो वर्षों में परिवर्तित कर दिया जाये, क्योंकि बी.ए. प्रथम वर्ष में यू.जी.सी. द्वारा प्रेषित Six Month Module Course of Environmental Studies लागू किया जायेगा, जिससे कि विद्यार्थियों पर अधिक भार न पड़े।

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

9 संस्थान की परीक्षा से सम्बन्धिय नियमों में संशोधन एवं संवर्धन पर विचार विमर्श किया गया -

(i) **प्रायोगिक परीक्षा/मौखिकी/ब्लॉक प्लैसमेंट परीक्षा में प्रौन्नत सम्बन्धी नियम**

पत्राचार पाठ्यक्रम के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में जहां प्रायोगिक पत्र हैं उनके लिए जो नियम लागू हैं उन्हें नियमित स्नातकोत्तर एवं स्नातक पाठ्यक्रम में भी लागू करने के लिए विद्या परिषद् ने अपनी सहमति दी।

परन्तु समाज कार्य के लिए प्रायोगिक परीक्षा/मौखिकी/ब्लॉक प्लेसमेंट आदि के लिए उतीर्ण सम्बन्धी नियमों के लिए यह निर्णय लिया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों के समाज कार्य विभाग की पद्धतियों को देख लिया जाये कि वहां पर क्या नियम अपनाया जाता है फिर उसके अनुरूप अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये। परन्तु सत्र 2002-2003 की प्रायोगिक परीक्षा/मौखिकी/ब्लॉक प्लेसमेंट की परीक्षा के लिए जो निर्णय ले लिया गया है उसे केवल इसी सत्र के लिए अपवाद स्वरूप स्वीकृत कर लिया जाये, परन्तु आगामी सत्रों के लिए अन्य विश्वविद्यालयों के समाज कार्य विभाग में जो नियम लागू होते है उन्हें अपनाया जाए तथा उन्हें विद्या परिषद की अगली बैठक में स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया जाए।

(ii) **विद्या परिषद् ने** नियमित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण कर उत्तरार्द्ध में प्रवेश लेने के लिए अधिकतम एक वर्ष का गेप (Gap) दिये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया तथा निर्णय लिया गया कि यह गेप (Gap) केवल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में ही लागू किया जाये न कि स्नातक पाठ्यक्रम में। इस प्रकार का गेप (Gap) चिकित्सीय आधार पर या अन्य किसी ठोस आधार पर विभागाध्यक्ष की संस्तुति के पश्चात् ही स्वीकृत किया जाये। इस प्रकार के विद्यार्थी पर चालू सत्र का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली लागू होगी।

(iii) **स्नातक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक सम्बन्धी नियम**

विद्या परिषद् बैठक 28-5-1999, बिन्दु अन्य (बिन्दु 1 में 'यह निर्णय लिया गया तथा कि स्नातक में प्रत्येक विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत होंगे----------' विद्यापरिषद् ने इसमें संशोधन किया कि प्रत्येक विषय में उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत होंगे परन्तु उस विषय के प्रत्येक पत्र में कम से कम २० प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी विषय के एक पत्र में २० प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करता है अथवा अनुपस्थित रहता है तो उसे पूरे विषय की पुन: परीक्षा देनी होगी।

(iv) **नियमित पाठ्यक्रम के बकाया पत्रों के परीक्षा प्राप्तांकों से सम्बन्धी नियम**

विद्यापरिषद् बैठक 25-4-1997 बिन्दु 7 संलग्नक बिन्दु 6 के निर्णयानुसार 'यदि कोई छात्र पूर्वार्द्ध में एक पत्र में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित रहता है तो उसे अन्तिम परीक्षा के साथ परीक्षा में बैठने के साथ अनुज्ञा दी जा सकेगी। परन्तु परीक्षा परिणाम घोषित करते समय उस पत्र के न्यूनतम उत्तीर्णांक ही गणना में लिये जायेंगे।' यह नियम नियमित स्नातकोत्तर एवं स्नातक पाठ्यक्रमों में लागू किया जाता रहा है। इस निर्णय पर पुन: विचार विमर्श करने हेतु प्रस्ताव रखा गया कि क्या न्यूनतम अंक गणना में लिये जायें या बकाया पत्र में विद्यार्थी के जितने प्राप्तांक आते हैं उन्हें गणना में लिये जायें।

विचार विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि इसे इस बिन्दु पर पुन: चिन्तन किया जाये तथा अन्य विश्वविद्यालयों के नियमों का अवलोकन कर लिया जाये तथा कुलपति महोदया को निर्णय

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

लेने हेतु अधिकृत किया गया तथा आगामी विद्या परिषद् की बैठक में उसे प्रस्तुत कर दिया जाये। तब तक जो नियम है उसे यथावत चलने दिया जायें।

(v) **संवर्गी पत्र (Allied Paper) पत्र के अंक जोड़े जाने सम्बन्धी निर्णय**

स्नातकोत्तर नियमित पाठ्यक्रम में संवर्गी पत्र के अंक जोड़े जाने अथवा न जोडे जाने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया कि संवर्गी पत्र (Allied Paper) के लिए जो पद्दति चल रही है उसे यथावत ही चलने दिया जाये क्योंकि इसके प्रारम्भ करने के समय भी इस पर काफी गहन चिन्तन मनन हुआ था।

(vi) **पूरक परीक्षा प्रारम्भ** किये जाने पर कि पत्राचार पाठ्यक्रम की तरह से ही नियमित पाठ्यक्रम में भी पूरक परीक्षा (Supplementary Exam) का कोई प्रावधान नहीं रखा जाये।

(vii) **पत्राचार से नियमित - नियमित से पत्राचार पाठ्यक्रम में स्थानान्तरण सम्बन्धी नियम में स्पष्टता**

विद्या परिषद में निर्णय लिया गया कि यदि कोई विद्यार्थी नियमित पाठ्यक्रम से पत्राचार पाठ्यक्रम में स्थानांतरित होता है तो उसके एलाइड पत्र के अंकों को जोड़ा न जाये जिससे कि पत्राचार से प्राप्त डिग्री में कुल अंकों की एकरूपता बनी रहे।

(viii) **नियमित पाठ्यक्रम में पुनर्मूल्यांकन सम्बन्धी नियमों** को पूर्ववत् ही लागू किये जाने की स्वीकृति दी गई।

(ix) **न्यूनतम उपस्थिति सम्बन्धी नियम पर विचार**

नियमित पाठ्यक्रम की परीक्षा में प्रविष्ठ होने के लिए विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत न्यूनतम उपस्थिति वाली शर्त यथावत ही हो परन्तु प्रत्येक अध्यापक की उपस्थिति रजिस्टर में प्रत्येक विद्यार्थी की न्यूनतम उपस्थिति 60 प्रतिशत होनी अनिवार्य हो। विभागाध्यक्ष अपने आन्तरिक स्तर पर ही प्रत्येक पत्र की उपस्थिति का मूल्यांकन स्वयं कर लें।

(x) **परीक्षकों एवं परीक्षा से सम्बन्धित व्यक्तियों की नियुक्ति**

संस्थान में परीक्षकों की नियुक्ति विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत पैनल में से अथवा अन्य किसी उपयुक्त व्यक्ति को जिसे कुलपति महोदय उचित समझते हैं उनकी परीक्षा संचालन हेतु कुलपति महोदय द्वारा की जाती रही है। विद्या परिषद् ने इसकी अनुमोदना की।

(xi) **नियमित स्नातक पाठ्यक्रम में विषय परिवर्तन करने सम्बन्धी नियम**

निर्णय लिया गया कि नियमित स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी के ऐच्छिक विषय वही रहेंगे जो प्रथम वर्ष में थे। उन्हें स्नातक द्वितीय वर्ष में ऐच्छिक विषयों को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परन्तु पत्राचार पाठ्यक्रम में इस नियम को लागू करने के लिए विचार विमर्श हुआ कि चूंकि पत्राचार पाठ्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना है, उन्हें शिक्षा के प्रति सचेत करना है तो इनके नियमों में कुछ लचीलापन रखा जा सकता है। अत: निर्णय लिया गया कि पत्राचार पाठ्यक्रम का जो विद्यार्थी स्नातक द्वितीय वर्ष में अपने स्नातक प्रथम वर्ष के किसी एक उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण ऐच्छिक विषय को परिवर्तित कर कोई अन्य ऐच्छिक विषय लेना चाहता है तो उसे अनुज्ञा दी जा सकती है। उसके लिए उसे स्नातक द्वितीय

Registrar,
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

वर्ष के सभी विषयों के साथ स्नातक प्रथम वर्ष के इस लॉग बैक (Log Back) विषय की भी परीक्षा देनी होगी। परन्तु पाठ्यक्रम चालू सत्र का ही लागू होगा। द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण तथा प्रौन्नत सम्बन्धी अन्य नियम यथावत् लागू रहेंगे। इस प्रकार विषय परिवर्तन की अनुज्ञा स्नातक द्वितीय वर्ष में ही दी जा सकेगी। यदि कोई स्नातक द्वितीय वर्ष का नियमित पाठ्यक्रम का विद्यार्थी पत्राचार पाठ्यक्रम में अपने स्नातक प्रथम वर्ष के किसी एक ऐच्छिक विषय को परिवर्तित कर प्रवेश लेना चाहता है तो अनुमति दी जा सकेगी।

10. सेमेस्टर प्रणाली लागू किये जाने सम्बन्धी विचार

वार्षिक परीक्षा प्रणाली के स्थान पर नियमित पाठ्यक्रम में सेमस्टर प्रणाली प्रारम्भ किये जाने पर विचार विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि इसका पूरा प्रारूप तैयार कर लिया जाये तथा अन्य विश्वविद्यालयों में यह किस प्रकार लागू हो रहा है इसको देख लिया जाये। इस कार्य के लिए कुलपति महोदया एक कमेटी गठित कर दें तथा कमेटी द्वारा जो भी प्रारूप तैयार किया जाये उसे विचार विमर्श हेतु एवं निर्णय लेने हेतु विद्यापरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

11. आन्तरिक मूल्यांकन सम्बन्धी नियम

स्नातकोत्तर नियमित पाठ्यक्रम में आन्तरिक मूल्यांकन का प्रावधान प्रारम्भ किये जाने पर विचार विमर्श कर कुलपति महोदया को इसके लिए एक कमेटी बनाये जाने के लिए अधिकृत किया गया। इस कमेटी द्वारा निर्मित प्रारूप को स्वीकृत एवं लागू करने हेतु कुलपति महोदया को विद्यापरिषद ने अधिकृत किया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(जगतराम भट्टाचार्य)
कुलसचिव

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं – 341 306
(मान्य विश्वविद्यालय)

दिनांक 04 अक्टूबर 2004 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक .04 अक्टूबर 2004 को प्रातः 11.00 बजे माननीया कुलपति श्रीमती सुधामही रघुनाथन की अध्यक्षता में संस्थान के लाडनूँ कार्यालय में विद्या परिषद की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :–

1. श्रीमती सुधामही रघुनाथन, कुलपति	अध्यक्षा
2. डॉ. अशोक कुमार जैन (प्रभारी विभागाध्यक्ष)	सदस्य
3. डॉ. हरिशंकर पाण्डेय	सदस्य
4. डॉ. अनिल धर, (प्रभारी विभागाध्यक्ष)	सदस्य
5. डॉ. जे.पी.एन. मिश्रा	सदस्य
6. प्रोफेसर मुसाफिर सिंह	सदस्य
7. प्रोफेसर हेमलता तलेसरा	सदस्या
8. डॉ. बी.पी.गौड	सदस्य
9. डॉ. जिनेन्द्र जैन	सदस्य
10. श्री आशुतोष प्रधान	सदस्य
11. सुश्री वीणा जैन	सदस्या
12. डॉ. आनन्द प्रकाश त्रिपाठी	सदस्य
13. डॉ. एस. लक्ष्मीदेवी	सदस्या
14. समणी ऋजु प्रज्ञा	सदस्या
15. समणी डॉ. स्थित प्रज्ञा	विशेष आमंत्रित
16. श्री देवेश अग्रवाल	विशेष आमंत्रित
17. डॉ. जगतराम भट्टाचार्य,	सदस्य एवं कुलसचिव – गैर सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीया कुलपति महोदया द्वारा बैठक में आगन्तुक महानुभावों का स्वागत किया गया तथा नव नियुक्त सहवरित सदस्य डॉ. एस. लक्ष्मीदेवी का अन्य सदस्यों से परिचय करवाया गया।

विद्या परिषद की दिनांक 08 अगस्त 2003 को आयोजित की गई गत बैठक के कार्यवृत का वाचन किया गया एवं इसकी सर्वसम्मति से अनुमोदना की गई।

वर्तमान बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा के पश्चात् कुछ बिन्दुओं पर निर्णय लिये गये एवं कुछ बिन्दुओं की अनुमोदना की गई जो इस प्रकार से है :–

1. अध्ययन मण्डल **(Board of Studies)** द्वारा निर्मित निम्नलिखित नए पाठ्यक्रमों की अनुमोदना एवं प्रारम्भ करने की स्वीकृति :–

(i) नियमित पाठ्यक्रम

1- Post Graduation Diploma in Computer Application Leading to Master of Computer Application (P.G.D.C.A. Leading to M.C.A.) in the Department of Computer Science from session 2004-2005.

2- Bachelor of Commerce (B.Com- for Girls Students under A.K.K.M. from session 2004-2005.)

3- Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT) in the department of Science of Living, P.M. and Yoga from session 2004-2005.

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

4- Diploma in Early Childhood Care and Education (DECCE) in Department of Education from session 2005-2006.

5. संस्थान में आगामी सत्र 2005–2006 से संचालित किये जाने वाले बी.एड. के नवीन पाठ्यक्रम पर चर्चा की गई तथा अध्ययन मण्डल द्वारा पारित पाठ्यक्रम को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया कि 7 वां पत्र Elective विषय के रूप में पारिस्थितिकी शिक्षा (Environmental Education) का रखा जाये तथा एवं 08 वॉ पत्र Elective Special Paper रखा जाये जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित में से किसी एक का चयन करना होगा:–

1- Value Education through Science of Living
2- Yoga Education and Preksha Meditation
3- Human Rights, Non-violence and Peace Education
4- Non Formal Education

उपर्युक्त वर्णित संशोधनों के साथ शेष पाठ्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की गई।

(ii) पत्राचार पाठ्यक्रम (सत्र 2005–2006 से)

1- M.A. in Hindi Literature (Duration – Two Years)

2- Certificate Course in Jain Art and Aesthetics (Duration – Six Months)

3- Certificate Course in Human Rights (Duration – Six Months)

4- Certificate Course in Astrology (Duration – Six Months)

5- Certificate Course in Understanding Religion (Duration - Three Months)

6. संस्थान के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जैन विद्या विषय में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को आगामी सत्र 2005–2006 से प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी विचार विमर्श किया गया एवं यह सुझाव दिया गया कि वर्तमान में जो पाठ्यक्रम अध्ययन मण्डल द्वारा पारित किया गया है जिसमें में जो दो प्रशन पत्रों का प्रावधान किया गया है उसके स्थान पर डिप्लोमा की दृष्टि से इसमें चार पत्र रखे जायें इसके पाठ्यक्रम की पुनसरंचना कर ली जाये और इसे विद्या परिषद की स्वीकृति समझा जाये। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम का नाम " जैन धर्म एवं दर्शन " (Jain Religion and Philosophy) रखा जाये।

7. संस्थान के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के माध्यम से " प्राकृत एवं जैन आगम" विषय में एक छः माह के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम को आगामी सत्र 2005–2006 से प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी विचार विमर्श किया गया एवं यह सुझाव दिया गया कि वर्तमान पाठ्यक्रम जो प्रस्तुत किया गया है उसे उस विषय से सम्बन्धित अध्ययन मण्डल द्वारा पारित करवा लिया जाये तथा इसे विद्या परिषद की स्वीकृति समझा जाये।

2- प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की परीक्षा प्रणाली :–

Certificate Course in Understanding Religion इस प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की परीक्षा योजना के सम्बन्ध में विचार विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इस पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अंक या ग्रेड न देकर उन्हें Certificate of Awareness का प्रमाण पत्र दिया जाये तथा बाकी के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा प्रणाली एक जैसी रहे।

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

3. संस्थान की परीक्षा सम्बन्धी नियमों में संशोधन एवं संवर्धनः–

1. प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण सम्बन्धी नियमः–

संस्थान के समाज कार्य विभाग के स्नातक (बी.एस.डब्ल्यू) एवं स्नातकोत्तर (एम.एस. डब्ल्यू) पाठ्यक्रमों में प्रायोगिकी परीक्षा/मौखिकी/ब्लॉक प्लेसमैंट आदि के लिए उत्तीर्ण सम्बन्धी नियमों के सम्बन्ध में चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि कोई विद्यार्थी प्रायोगिकी परीक्षा/मौखिकी/ब्लॉक प्लेसमैंट आदि में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं करता है तो उसका उस वर्ष का वार्षिक परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण ही घोषित होगा बेशक उसने लिखित पत्र उत्तीर्ण क्यों न कर लिये हों। उसे उस वर्ष की लिखित एवं प्रायोगिकी/मौखिकी/ब्लॉक प्लेसमैंट की परीक्षा पुनः देनी होगी और उस कक्षा में पुनः प्रवेश लेने की समस्त औपचारिकताएँ नियमानुसार पूरी करनी होगी। विद्या परिषद द्वारा इस निर्णय को सत्र 2003–2004 से लागू किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

2. बकाया पत्र के अंक जोड़ने सम्बन्धी नियम :–

विद्या परिषद की पूर्व बैठक दिनांक 08 अगस्त 2003 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 9 (i) के अन्तर्गत बकाया पत्र के न्यूनतम अंक अथवा प्राप्तांक गणना में लिए जाये इसका प्रारूप तैयार करने हेतु कमेटी निर्मित करने एवं निर्णय लेने हेतु कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया था। इस बैठक में लिए गये निर्णय को विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि किसी भी विद्यार्थी के बकाया पत्र (डयू पेपर) के अंक उतने ही गणना में लिये जायें जितने की उसने प्राप्त किये हैं, ना कि न्यूनतम उत्तीर्णांक। इस संशोधन को सत्र 2004–2005 से यानि 2005 की वार्षिक परीक्षा के साथ बकाया (डयू पेपर) पत्र की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से प्रारम्भ समझा जायेगा तथा पूर्व के समस्त परीक्षा परिणाम यथावत् ही रहेगें। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि डयू पेपर की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को मेरिट लिस्ट में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

3. संवर्गी पत्र के अंक जोडे जाने सम्बन्धी नियमः–

यह भी सुझाव रखा गया कि संवर्गी पत्र के अंक विद्यार्थी के पूर्णांक में जोडे जाने सम्बन्धी जो निर्णय पूर्व में लिए गये है उसे पूर्ववत् ही रखा जाए। इसे पुनः पुनः विद्या परिषद में रखे जाने की अपेक्षा नहीं है।

4. आन्तरिक मूल्यांकन :–

संस्थान द्वारा सत्र 2004–2005 से परीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत आन्तरिक मूल्यांकन हेतु अपनाई गई निम्नलिखित पद्धति का अनुमोदन किया गयाः–

I. Tutorial - 5 in each paper at PG level
5 in each paper at UG level

- 30 Marks

II. Comprehension and Expression –

Two guest lectures are to be organized in the first and second part of the year. Attendance of the students is compulsory. They will be required to submit a synopsis of not less than 1500 words on the subject of the lecture delivered.

- 20 Marks

In case a student is absent (with sufficient reason) or the lecture is not arranged due to some unforeseen circumstances the student will submit a book review of a book NOT prescribed in the required or recommended list of readings in his/her syllabus.

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

III. One topic each in the first and second half of the academic session from within the syllabus will be arranged for self-study. The student will be required to submit a paper on his understanding. The paper will be marked for originality, comprehension, reference made, and a general understanding for the subject. The teacher will give this assignment atleast 5 days before he/she discusses it in class.

- 30 Marks

IV. Conduct, Participation in Prayer, Meditation and yoga & in extra curricular activities and other functions etc.

- 20 Marks

इस प्रकार के आन्तरिक मूल्यांकन के अंक विद्यार्थी के कुल प्राप्तांको में जोड़े जाएंगे।

4. स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर पर चालू पाठ्यक्रमों में आंशिक संशोधन की स्वीकृति :–

1. संस्थान के जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान एवं योग विभाग के स्नातकोत्तर नियमित पाठ्यक्रम को अधिक व्यवसायोन्मुखी बनाने हेतु तथा रोजगार के अधिक अवसर खोले जाने की दृष्टि से एम.ए./एम.एस–सी के अंतिम वर्ष में निम्नलिखित तीन ऐच्छिक विषयों में से एक ऐच्छिक लेना अनिवार्य होगा वार्षिक परीक्षा के पश्चात् विद्यार्थी को किसी मनःचिकित्सालय अथवा पुर्नवास केन्द्र अथवा शैक्षिक संस्थान में दो माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। दो माह के प्रायोगिक प्रशिक्षण के पश्चात् प्रत्येक विद्यार्थी को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करनी होगी जिसके आधार पर बाह्य परीक्षक द्वारा 200 अंकों की मौखिकी परीक्षा ली जायेगी। यह अंश द्विवर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग होगा :–

   1. Mental Disorders and Science of Living.
   2. Rehabilitation and Science of Living
   3. Educational Technology, Planning and Management of Value Education with special reference to Science of Living.

2. आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय के अर्न्तगत नियमित पाठ्यक्रम के बी.ए. के अंग्रेजी साहित्य विषय में अध्ययन मण्डल द्वारा कुछ संशोधन किए गये है जिन्हें विद्या परिषद ने स्वीकृति प्रदान की। इस संशोधन को पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत चलाए जाने वाले बी. ए. अंग्रेजी साहित्य विषय पर भी लागू समझा जाये।
3. आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय के अर्न्तगत चलाए जा रहे बी.ए. में कम्प्यूटर विषय में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधित पाठ्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की गई।

5. "आचार्य तुलसी शिक्षा परियोजना" के अन्तर्गत चल रहे कार्यक्रमों की जानकारी :–

संस्थान द्वारा "आचार्य तुलसी शिक्षा परियोजना" के तहत समीपस्थ गॉवों/लाडनूं शहर में ओपन स्कूल (NIOS) के माध्यम से संचालित की जा रही शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा यह सुझाव दिया गया कि इस प्रकार के शिक्षा कार्यक्रमों में व्यवसायनोमुखी विषयों को अधिक से अधिक जोडा जाये। वर्तमान में किये जा रहे प्रयासों की समस्त सदस्यों ने सराहाना की।

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

6. स्नातकोत्तर स्तर पर संवर्गी पत्र (Allied Paper) के साथ अंग्रेजी भाषा को जोडे जाने पर विचार :–

नियमित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए अपने विषय के साथ–साथ अंग्रेजी भाषा का भी आधारभूत ज्ञान हो सके इसके लिए यह प्रस्ताव रखा गया कि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध दोनों वर्षो में 50–50 अंक का एक–एक पत्र बोलचाल अंग्रेजी का रखा जाए। विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ भी ना पडे इसके लिए सुझाव दिया गया कि संवर्गी पत्र (Allied) जो 100–100 अंक का एक–एक पत्र है उसे इस प्रकार पुनः निर्मित किया जाए कि 50 अंक का संवर्गी पत्र से सम्बन्धित और 50 अंक का अंग्रेजी भाषा का पत्र हो। इसके लिए सुझाव दिया गया कि एक कमेटी निर्मित कर दी जाये जो संवर्गी पत्र के पाठ्यक्रम को इस प्रकार पुनः निर्मित कर ले जिससे अंग्रेजी भाषा के पत्र को भी इसमें समाहित किया जा सके।

जो भी संशोधन किया जाये उसे विद्या परिषद ने सत्र 2005–2006 से लागू करने के लिए कुलपति महोदया को अधीकृत किया।

स्नातकोत्तर स्तर पर अतिरिक्त अंग्रेजी का पाठ्यक्रम जो अध्ययन मण्डल द्वारा निर्मित किया गया है उसे विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

7. स्नातक स्तर पर जैन विद्या को एक अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में रखे जाने अथवा न रखे जाने पर विचार विमर्श:–

संस्थान में आगामी सत्र 2005–2006 से बी.एड. के पाठ्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने की पूरी संभावना है। 10+2 तक विद्यालयों में प्रचलित विषयों में से किन्ही दो विषयों को बी.एड. में Teaching Subjects के रूप में लेने होते हैं। ये दो Teaching Subjects वे होने चाहिए जो विद्यार्थी ने स्नातक स्तर पर लिए हों।

इस दृष्टि से संस्थान के आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय के बी.ए. के पाठ्यक्रम पर पुनः विचार करने की अपेक्षा विद्या परिषद के समक्ष रखी गई क्योंकि संस्थान के बी.ए. के पाठ्यक्रम में एक जैन विद्या/जैन दर्शन एवं जैनेत्तर दर्शन का एक पत्र अनिवार्य होने के कारण विद्यार्थियों के पास ऐसा विकल्प नहीं बचता कि वे ऐसे दो विषय चयनित कर सकें जिसे लेकर वे बी.एड. में प्रवेश ले सके।

सुझाव रखा गया कि चूंकि जैन विद्या इस संस्थान की मूल नीतियों से सम्बन्धित है इसलिए जैन विद्या विषय को एक पूर्ण विषय के रूप में न रख कर एक अतिरिक्त विषय के रूप में केवल एक–एक पत्र बी.ए. प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष में या केवल एक–एक पत्र बी.ए. द्वितीय व तृतीय वर्ष में रखा जाए और विद्यार्थियों को अपने भविष्य की दृष्टि से विषयों को चयनित करने का अधिक विकल्प मिल सके।

जैन विद्या के विषय को किस प्रकार रखा जाये, इसके कितने अंक हो तथा उसका लाभ वर्तमान में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को किस प्रकार मिल सके इन सबके लिए निर्णय लेने हेतु संस्थान के अनुशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की शीघ्रातिशीघ्र दृष्टि ले ली जाये एवं इसके पश्चात् अंतिम निर्णय के लिए माननीया कुलपति महोदया को अधीकृत किया गया तथा जो भी निर्णय हो उसे इसी सत्र 2004–2005 से लागू करने हेतु विद्या परिषद ने अनुमति प्रदान की।

यह भी निर्णय लिया गया कि यदि संशोधित नियम लागू किया जाता है तो वर्तमान में बी. ए. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की छात्राओं को विशेष परिस्थिति की दृष्टि से इन्हें Back log के पत्र के रूप में विषय परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है। यह अनुमति केवल दो वर्षो के लिए यानि वर्तमान के बी.ए. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ही लागू समझी जाये इसके बाद पूर्व में लिया गया निर्णय पूर्ववत ही रहेगा।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(डा. जगतराम भट्टाचार्य)
कुलसचिव

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं – 341 306
(मान्य विश्वविद्यालय)

दिनांक 22 फरवरी, 2007 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 22 फरवरी, 2007 को प्रातः 11.30 बजे माननीया कुलपति समणी डा. मंगलप्रज्ञा जी की अध्यक्षता में कुलपति कान्फ्रेंस हॉल में विद्या परिषद की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :–

1.	समणी डा. मंगलप्रज्ञा, कुलपति	अध्यक्षा
2.	समणी डा. चैतन्य प्रज्ञा,	सदस्या
3.	प्रोफेसर बच्छराज दूगड	सदस्य
4.	डा. जे. पी. एन मिश्रा	सदस्य
5.	श्री आशुतोष प्रधान	सदस्य
6.	प्रोफेसर हेमलता तलेसरा	सदस्या
7.	प्रोफेसर मुनिश्री महेन्द्र कुमार	सदस्य
8.	समणी डॉ. स्थित प्रज्ञा	सदस्या
9.	डॉ. जिनेन्द्र जैन	सदस्य
10.	समणी डा. ऋजु प्रज्ञा	सदस्या
11.	समणी डा. कुसुम प्रज्ञा	सदस्या
12.	डॉ. अनिल धर,	सदस्य
13.	डा. संजीव कुमार गुप्ता	सदस्य
14.	श्रीमती प्रतिभा जैन मिश्रा	सदस्या
15.	श्री मनीष भटनागर	सदस्य
16.	समणी मल्लि प्रज्ञा	सदस्या
17.	प्रोफेसर आर. पी. भटनागर	विशेष आमंत्रित
18.	प्रोफेसर ओ. पी. शर्मा,	विशेष आमंत्रित
19.	डा. नीरज भार्गव	विशेष आमंत्रित
20.	सुश्री वीणा जैन	विशेष आमंत्रित
21.	डॉ. आनन्द प्रकाश त्रिपाठी	विशेष आमंत्रित
22.	श्री प्रकाश सिंह तंवर	विशेष आमंत्रित
23.	डॉ. जगतराम भट्टाचार्य,	सदस्य एवं कुलसचिव – गैर सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीया कुलपति महोदया द्वारा बैठक में आगन्तुक महानुभावों का स्वागत किया गया।

वर्तमान बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा के पश्चात् कुछ बिन्दुओं पर निर्णय लिये गये एवं कुछ बिन्दुओं की अनुमोदना की गई जो इस प्रकार से है :–

1. गत बैठक के कार्यवृत की सर्वसम्मति से अनुमोदना–

विद्या परिषद की दिनांक 04 अक्टूबर 2004 को आयोजित की गई गत बैठक के कार्यवृत की सर्वसम्मति से अनुमोदना की गई।

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

2. <u>सदस्यो को सहवरित (Co-opted)करने के सम्बन्ध में –</u>

संस्थान के संविधान के भाग – II की धारा 10 (A) (h) के तहत ऐसे पॉच विशिष्ट ज्ञानी, जो शैक्षिक वर्ग के सदस्य न हो उन्हें विद्या परिषद द्वारा सहवरित (Co-opted) किये जाने के सम्बन्ध में विद्या परिषद द्वारा 1. प्रोफेसर एम. पी. लेले, नई दिल्ली 2. प्रोफेसर एस. जयप्रकाशम्, मदुरैई 3. प्रोफेसर ओ. पी. शर्मा, जोधपुर 4. प्रोफेसर आर. पी. भटनागर, जयपुर 5. डा. प्रदीप महनोत, उदयपुर को सहवरित करने का निर्णय लिया गया।

3. <u>विभिन्न पाठ्यक्रमों में संशोधन एवं उन्हें चालू रखने से सम्बन्धित विषय –</u>

अध्ययन मण्डल (Board of Studies) द्वारा निर्मित निम्नलिखित नियमित पाठ्यक्रमों में आंशिक संशोधन/नये पाठ्यक्रमों की अनुमोदना व प्रत्येक के आगे दर्शाये गये सत्र से प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गईः–

(i) जैन विद्या तथा तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन विभाग

1. एम. ए. (सत्र 2006–2007 से) 2. एम. फिल (सत्र 2005–2006 से)

(ii) प्राकृत एवं जैन आगम विभाग

1. एम.ए. पूर्वार्द्ध – द्वितीय प्रश्न पत्र (सत्र 2006–2007)
2. एम.ए. उत्तरार्द्ध – अष्टम प्रश्न पत्र (सत्र 2007–2008)
3. एम. फिल

प्राकृत एवं जैन आगम विभाग के एम. फिल. पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल द्वारा निर्मित वर्तमान पाठ्यक्रम को केवल इस सत्र 2006–2007 के लिए अनुमोदित किया जाता है। आगामी सत्र के लिए सुझाये गये परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए विभागीय अध्ययन मण्डल के द्वारा पुनः इस पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाये तथा इसे विद्या परिषद की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।

(iii) जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान एवं योग विभाग

1. प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (सत्र 2007 से)

संस्थान के जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान एवं योग विभाग द्वारा तुलसी अध्यात्म नीडम् के संयुक्त तत्वावधान में चलाये जा रहे प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जीवन विज्ञान विभाग द्वारा नवीन एम.ओ.यू. तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

(iv) अंग्रेजी सम्भाषण पाठ्यक्रम (Communication Skills in English) एलाईड –

समस्त गैरपारम्परिक स्नातकोत्तर स्तरीय एवं एम.एस.डब्ल्यू के विद्यार्थियों के लिए वर्तमान एलाईड पत्र के पाठ्यक्रम को जो 100 अंक का एक पत्र होता था उसे 50 अंक के आधे पत्र के रूप में सत्र 2006–2007 से पूर्वार्द्ध के विद्यार्थियों के लिए प्रारम्भ करने की अनुमोदना की गई। ये एलाईड पाठ्यक्रम 1. जैन विद्या तथा तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन विभाग 2. प्राकृत एवं जैन आगम विभाग 3. जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान एवं योग विभाग 4. अहिंसा एवं शांति विभाग 5. समाज कार्य विभाग के विद्यार्थियों से सम्बन्धित हैं।

एलाईड पत्र के शेष आधे भाग के लिए अंग्रेजी संभाषण Communication Skills in English का 50 अंक पूर्वार्द्ध एवं 50 अंक उत्तरार्द्ध के लिए अनुमोदना की गई।

अध्ययन मण्डल द्वारा निर्मित अंग्रेजी संभाषण के 50 अंक के एलाईड पत्र को सत्र 2006 –2007 के लिए स्वीकृत किया गया परन्तु आगामी सत्र से इसमें कुछ संशोधन करने के लिए प्रोफेसर आर.पी. भटनागर जी को कहा गया। जो भी इसमें संशोधन किए जाएं, उसे स्वीकृत करने हेतु कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया तथा संशोधित पाठ्यक्रम को सत्र 2007–2008 से लागू करने की अनुमोदना की गई।

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

(v) अहिंसा एवं शांति विभाग के एम. ए. के पाठ्यक्रम को सत्र 2006–2007 तक के लिए अनुमोदित किया गया परन्तु अगले सत्र से इसके पाठ्यक्रम एवं विभागीय नामकरण परिवर्तन किए जाने के लिए निर्णय को आगामी बैठक तक स्थगित रखा गया।

(vi) संस्थान के आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में सामान्य अंग्रेजी के साथ सामान्य हिन्दी का पत्र प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया एवं इसकी अनुमोदना दी गई। पत्राचार पाठ्यक्रम में चालू पाठ्यक्रम को ही नियमित पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकृत किया गया। स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में Communication Skills in English का पाठ्यक्रम जोडने से सम्बन्धित विचार विमर्श किया गया एवं इसकी भी अनुमोदना दी गई इसके अंक विद्यार्थियों की अंक तालिका में ग्रेड के रूप में दर्शाए जाएँ परन्तु कुल अंकों में न जोडे जाने की अनुमोदना की गई।

(vii) संस्थान के आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में तीनों वर्षो के लिए 100–100 अंक का एक पत्र सत्र 2004–2005 से प्रारम्भ किए जैन संस्कृति और जीवन मूल्य के पाठ्यक्रम पर विचार किया गया एवं इसकी अनुमोदना की गई।

(viii) आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर जैन विद्या जो पूर्व में अनिवार्य विषय था, उसे सत्र 2004–2005 से ऐच्छिक विषय में परिवर्तित कर दिया गया था उसकी अनुमोदना की गई।

(ix) संस्थान के दूरस्थ शिक्षा विभाग द्वारा संचालित बी.ए. में अहिंसा एवं शांति पत्र के पाठ्यक्रम पर चर्चा की गई तथा अध्ययन मण्डल द्वारा निर्मित किए जाने वाले पाठ्यक्रम को विद्या परिषद की स्वीकृति समझी जाये इसकी अनुमोदना की गई।

(x) आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय के अन्तर्गत संचालित बी.कॉम में विद्यार्थियों की नाममात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए विद्या परिषद ने बी. कॉम में नये प्रवेश को अगले सत्र 2007–2008 से स्थगित रखने की अनुमोदना की।

4. नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने से सम्बन्धित –

संस्थान के विभिन्न विभागों के विस्तार एवं भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पाठ्यक्रमों की उपयोगिता पर चर्चा परिचर्चा हुई एवं निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं अन्य आवश्यक परिषदों की अनुमोदना के पश्चात् प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई:–

(i) स्नातक स्तरीय (नियमित पाठ्यक्रम – सह शिक्षा)
1. बी. बी. ए

(ii) स्नातक स्तरीय (महिला)
वर्तमान में शिक्षा विभाग द्वारा चलाये जा रहे बी.एड. पाठ्यक्रम में आवंटित 100 सीटों के अतिरिक्त सीटों की बढोतरी हेतु एन. सी. ई. टी. में आवेदन करने की अनुमति दी गई।

(iii) स्नातकोत्तर स्तरीय
1. एम.एड. 2. एम. सी. ए. 3. एम. बी. ए. 4. एम.ए. अंग्रेजी 5. एम. ए. (शिक्षा)

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

(iv) पत्राचार पाठयक्रम के माध्यम से
1. बी. बी ए. 2. एम. बी. ए 3. एम. ए. (शिक्षा)

स्नातकोत्तर स्तर पर अंग्रेजी भाषा के नियमित पाठ्यक्रम के निमार्ण हेतु प्रो. आर. पी. भटनागर, जयपुर को अधीकृत किया गया एवं विभागीय सहायता श्री ईलम परीधि, प्रवक्ता आ. का. क. महाविद्यालय द्वारा दी जायेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रारम्भ में यह पाठ्यक्रम विजिटिंग फैकल्टी द्वारा संचालित किये जाने की व्यवस्था की जाये तथा इसके बाद इस पाठ्यक्रम को आगे चालू रखा जाये या नहीं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इसमें विद्यार्थी कितनी संख्या में उपलब्ध होते है।

5. कम्प्यूटर विभाग के नामकरण में परिवर्तन–

संस्थान के कम्प्यूटर सेक्शन के नामकरण के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया एवं तत्काल प्रभाव से इसका नामकरण Department of Computer Applications किये जाने का निर्णय लिया गया एवं इसको सर्वसम्मति से पारित किया गया।

6. चयन समिति (Selection Committee) के गठन के सम्बन्ध में–

संस्थान के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में समयानुसार होने वाली नियुक्ति हेतु चयन समिति के गठन के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया तथा इसके लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

7. शोध नियमावाली में परिवर्तनों के सम्बन्ध में –

संस्थान की वर्तमान शोध नियमावाली में परिवर्तनों के सम्बन्ध में आवश्यक विचार विमर्श किया गया एवं आवश्यक सुझावों के साथ इसको पुनः संशोधित कर अंतिम निर्णय हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

8. अध्ययन मण्डल एवं परीक्षक पैनल के गठन के सम्बन्ध में –

पूर्व में विभिन्न विभागों के लिए गठित अध्ययन मण्डलों के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि समस्त विभाग अपने–अपने विषय के अध्ययन मण्डलों का पुर्नगठन कर कुलपति महोदया को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया जाए तथा इसकी सूचना विद्या परिषद की आगामी बैठक प्रेषित कर दी जाए।

प्रश्न पत्र निर्माणकर्त्ता एवं परीक्षकों के पैनल के सम्बन्ध में विचार–विमर्श करते हुए यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित विभागों द्वारा अध्ययन मण्डल की बैठकों के दौरान ही प्रत्येक पत्र के पैनल तैयार कर लिये जाएं तथा विभागाध्यक्षों द्वारा कुलपति को जो पैनल प्रेषित किया जाए उसे कम से कम आगामी तीन वर्ष के लिए यथावत रखा जा सकता है।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(डा. जगतराम भट्टाचार्य)
कुलसचिव

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

जैन विश्वभारती विश्वविद्यालय, लाडनूँ – 341 306

(भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 9–9/87–यू.3 दिनांक 20 मार्च 1991 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अर्न्तगत स्थापित)

दिनांक 28 जनवरी, 2008 को आयोजित विद्या परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 28 जनवरी, 2008 को प्रातः 11.30 बजे माननीया कुलपति समणी डा. मंगलप्रज्ञा जी की अध्यक्षता में कुलपति कान्फ्रेस हॉल में विद्या परिषद् की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :–

1.	समणी डॉ. मंगलप्रज्ञा, कुलपति	अध्यक्षा
2.	प्रोफेसर आर. पी. भटनागर	सदस्य
3.	प्रोफेसर ओ. पी. शर्मा,	सदस्य
4.	प्रोफेसर बच्छराज दूगड	सदस्य
5.	डॉ. जिनेन्द्र जैन	सदस्य
6.	डॉ. बी. पी. गौड़	सदस्य
7.	डॉ. बी.एल. जैन	सदस्य
8.	समणी डा. कुसुम प्रज्ञा	सदस्या
9.	समणी डा. ऋजु प्रज्ञा	सदस्या
10.	समणी सत्य प्रज्ञा	सदस्या
11.	समणी रितु प्रज्ञा	सदस्या
12.	श्रीमती प्रतिभा जै. मिश्रा	सदस्या
13.	डॉ. संजीव कुमार गुप्ता	सदस्य
14.	श्री प्रताप बहेरा	सदस्य
15.	श्री मनीष भटनागर	सदस्य
16.	श्री संदीप बोथरा	सदस्य
17.	सुश्री वीणा जैन	विशेष आमंत्रित
18.	डॉ. आनन्द प्रकाश त्रिपाठी	विशेष आमंत्रित
19.	प्रोफेसर जगतराम भट्टाचार्य	विभागाध्यक्ष – सदस्य एवं कुलसचिव – गैर सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीया कुलपति महोदया द्वारा बैठक में आगन्तुक महानुभावों का स्वागत किया गया।

1. दिनांक 22 फरवरी, 2007 को आयोजित विद्या परिषद् के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष जीवन विज्ञान, प्रेक्षाध्यान एवं योग तथा उप निदेशक दूरस्थ शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को स्वीकार करते हुए जीवन विज्ञान, प्रेक्षाध्यान एवं योग विषय का पत्राचार एवं नियमित एम.ए./एम.एस.सी. द्वि–वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो सत्र 2006–2007 से पारित किया गया था एवं जिसको विगत बैठक में पारित कर दिया गया था लेकिन कार्यवृत्त में सम्मिलित नहीं हो पाया था, को स्वीकृत मानते हुए इसकी सम्पुष्टि की गयी।

   इस सम्बन्ध में उप निदेशक ने बताया कि वर्तमान में पत्राचार में पूर्व में स्वीकृत पाठ्यक्रम ही चलाया जा रहा है। नये पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सामग्री तैयार होने के पश्चात् ही इसको लागू किया जा सकेगा।

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

2. विद्या परिषद् द्वारा निम्नलिखित विभागों/महाविद्यालय के अध्ययन मण्डलों द्वारा पारित संशोधित पाठ्यक्रमों पर गहन विचार विमर्श के पश्चात स्वीकृति प्रदान की गयी :–

(अ) आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय त्रिवर्षीय स्नातक स्तरीय हिन्दी साहित्य विषय।

(ब) दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित :–

1. त्रिवर्षीय स्नातक स्तरीय हिन्दी साहित्य विषय
2. एम.ए. शिक्षा,
3. एम.ए. जैनविद्या तथा तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन (उत्तरार्द्ध) का पंचम पत्र।

(स) कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स विभाग द्वारा प्रस्तुत एम.सी.ए. का पाठ्यक्रम।

(द) शिक्षा विभाग का एम.एड. एवं एम.ए. शिक्षा का नियमित पाठ्यक्रम।

(य) संस्कृत एवं प्राकृत विभाग के अन्तर्गत एम.ए. संस्कृत तथा एम.ए. प्राकृत तथा एम.फिल. (प्राकृत एवं जैनागम) नियमित पाठ्यक्रम। आगामी सत्र 2008–2009 हेतु यह पाठ्यक्रम आवश्यक संशोधन करके कुलपति महोदया के निर्देशानुसार लागू किया जायेगा।

निर्णय किया गया कि ये परिवर्तित/संशोधित एवं पारित पाठ्यक्रम सत्र 2007–2008 से स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष से तथा स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वार्द्ध से लागू किये जाएँ।

इसके अतिरिक्त माननीय कुलपति महोदया ने नियमित पाठ्यक्रमों में पाठ्य एवं परीक्षा पद्धति को क्रेडिट सिस्टम एवं सेमेस्टर सिस्टम में परिवर्तित करने पर बल दिया एवं सुझाव दिया कि समस्त विभागाध्यक्ष एवं उपकुलसचिव परीक्षा इस सम्बन्ध में एक बैठक आयोजित कर विचार विमर्श करके इसका प्रारूप तैयार करें। प्रारूप तैयार हो जाने के पश्चात ओरियेन्टेशन वर्कशाप आयोजित की जाए, यह भी सुझाव दिया गया कि अध्ययन मण्डलों की बैठक में परीक्षा पद्धति के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार किया जाये।

3. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/महाविद्यालयों के अध्ययन मण्डलों द्वारा पारित परीक्षकों की सूचियों को विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। इस सम्बन्ध में माननीया कुलपति महोदया ने सुझाव दिया कि सभी विभागाध्यक्ष परीक्षकों की सूची जब भी परीक्षा विभाग को प्रस्तुत करें तो यह ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षक उसी सम्बन्धित विषय से हो तथा उनका पता आदि पूरा हो।

4. विश्वविद्यालय में अगले सत्र से Department of English प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया जिसमें एम.ए. अंग्रेजी का पाठ्यक्रम आगामी सत्र 2008 से शुरू किया जाये एवं इसके पाठ्यक्रम निर्माण हेतु प्रो. आर. पी. भटनागर, प्रो. कृष्णा स्वामी एवं श्री ईलम परिधि को अधिकृत किया गया। प्रोफेसर आर.पी. भटनागर से अनुरोध किया गया कि वे जयपुर में बैठक आयोजित कर माह फरवरी 2008 के अन्तिम सप्ताह तक पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप प्रदान कर प्रस्तुत कर दें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस पाठ्यक्रम की महत्ता को देखते हुए इस पाठ्यक्रम के प्रारम्भ होने से विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगें।

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

5. विश्वविद्यालय के नियमित एवं पत्राचार पाठ्यक्रमों में पूरक परीक्षा प्रारम्भ की जाये अथवा नहीं इस सम्बन्ध में गहनता से विचार विमर्श हुआ और यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम–उपनियम तैयार किये जा रहे हैं। अतः पूरक परीक्षा की पद्धति अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा प्रचलित नियमों का अध्ययन करके एक कमेटी का गठन कर उसका प्रारूप अगली बैठक में प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया। यह भी सुझाव दिया कि यदि सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाता है तो फिर इसकी औचित्यता नहीं रह जाती है।

6. पत्राचार माध्यम से संचालित विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों की न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में विचार विमर्श करते हुए यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में न्यूनतम अर्हता 10+2 निर्धारित है, इसके स्थान पर अब न्यूनतम अर्हता दसवीं कक्षा उत्तीर्ण रखी जाये।

7. विश्वविद्यालय के प्राकृत एवं जैनागम विभाग के परिवर्तित नामकरण **संस्कृत एवं प्राकृत विभाग** को भूतलक्षी प्रभाव सत्र 2007–08 से करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। एम. फिल. एवं शोध की उपाधि हेतु यह निर्णय लिया गया कि शोधार्थी/विद्यार्थी द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करते समय जो विभाग का नाम अस्तित्व में हो उसके अन्तर्गत ही उपाधि प्रदान की जाये। एम.फिल. पाठ्यक्रम की उपाधि का नाम "प्राकृत एवं जैनागम" होगा।

8. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के पाठ्यक्रमों के निर्माण, संशोधन, परिवर्तन, परिवर्द्धन आदि हेतु अध्ययन मण्डल में बाह्य विशेषज्ञों की उपस्थिति के सम्बन्ध में विचार किया गया कि अध्ययन मण्डल की बैठक इस प्रकार आयोजित की जाए कि कम से कम एक बाह्य सदस्य उपस्थित रहे।

9. माननीया कुलपति महोदया का सुझाव था कि समस्त विभागों द्वारा आन्तरिक मूल्यांकन मौखिकी/प्रायोगिक परीक्षा के अंकों का बिन्दुवार विभाजन करने हेतु एक रूपरेखा तैयार कर परीक्षा विभाग में 02.02.2008 प्रस्तुत करें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(प्रोफेसर जगतराम भट्टाचार्य)
कुलसचिव

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

जैन विश्वभारती विश्वविद्यालय, लाडनूं – 341 306 (राजस्थान)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अर्न्तगत मान्य विश्वविद्यालय घोषित)

दिनांक 21 फरवरी, 2012 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 21 फरवरी, 2012 को मध्यान्ह 2.30 बजे माननीया कुलपति समणी चारित्रप्रज्ञा जी की अध्यक्षता में कुलपति कान्फ्रेंस हॉल में विद्या परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:

1.	समणी चारित्रप्रज्ञा, कुलपति	अध्यक्षा
2	डॉ. सागरमल जैन	सदस्य
3.	प्रो. नन्दलाल कल्ला	सदस्य
3.	प्रो. जयनारायण शर्मा	सदस्य
4.	प्रो. मथुरेश्वर पारीक	सदस्य
5.	प्रो. बच्छराज दूगड़	सदस्य
6.	प्रो. आर.बी.एस. वर्मा	सदस्य
7.	डॉ. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी	सदस्य
8.	डॉ. समणी ऋजुप्रज्ञा	सदस्या
9.	डॉ. जिनेन्द्र जैन	सदस्य
10.	डॉ. अनिल धर	सदस्य
11.	डॉ. बनवारीलाल जैन	सदस्य
12.	डॉ. आशुतोष प्रधान	सदस्य
13.	डॉ. समणी मल्लीप्रज्ञा	सदस्या
14.	डॉ. समणी चैत्यप्रज्ञा	सदस्या
15.	डॉ. रविन्द्र सिंह	सदस्य
16.	डॉ. प्रद्युमन सिंह शेखावत	सदस्य
17.	डॉ. दामोदर शास्त्री	सदस्य
18.	श्री संजय गोयल	सदस्य
19.	प्रो. राजीव माले	विशेष आमंत्रित सदस्य
20.	प्रो. वैंकटरमणी	विशेष आमंत्रित सदस्य
21	श्रीमती रश्मिता राय	विशेष आमंत्रित सदस्य
22	प्रो. जे.पी.एन.मिश्रा	कुलसचिव – गैर सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीया कुलपति महोदया द्वारा बैठक में आगन्तुक महानुभावों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् सभी सदस्यों द्वारा अपना–अपना परिचय दिया गया।

1. विद्या परिषद द्वारा दिनांक 09 अप्रेल 2011 के बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।
2. गत बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना सम्बन्धी प्रगति विवरण को विद्या परिषद द्वारा सर्व–सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
3. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/महाविद्यालयों के अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधित/नवीन पाठ्यक्रमों एवं उनसे सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं पर निम्नानुसार विचार–विमर्श किया गया:

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

6/2/12

1. **जैन विद्या तथा तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन विभाग:** विभाग की विभागाध्यक्षा डॉ. समणी ऋजुप्रज्ञा नें आगामी सत्र 2012–13 से M.A. in Jainology & Comparatative Religion & Philosophy एवं M.A. in Philosophy का पाठ्यक्रम जो विभाग के अध्ययन मण्ड़ल द्वारा पारित किया गया है, उसे सदन में पारित करवाने हेतु प्रस्तुत किया। प्रस्तुत पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थी तीन वर्षो में दो एम.ए. की ड़िग्री का कोर्स कर सकता है। इस सम्बन्ध में विद्या परिषद में गहनता से विचार–विमर्श किया गया तथा सर्व–सम्मति से इस पाठ्यक्रम को आगामी सत्र से संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
2. **संस्कृत एवं प्राकृत विभाग:** इस विभाग के डॉ. जिनेन्द्र जैन ने अध्ययन मण्ड़ल द्वारा एम.ए. संस्कृत के पाठ्यक्रम में की गई आंशिक परिवर्तन की जानकारी सदन को दी। जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्व–सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

   इसके अतिरिक्त आचार्य एवं शास्त्री के पाठ्यक्रम को विद्या परिषद द्वारा सिद्धान्ततः स्वीकृति प्रदान की गई । इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की योजना, परीक्षा प्रणाली, स्टाफ, आदि का विवरण बनाकर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

   विभाग द्वारा आगामी बारहवी पंचवर्षीय योजना में अनुदान हेतु विभिन्न केन्द्रो की परियोजनाएं तैयार कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भिजवाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

3. **अहिंसा एवं शांति विभाग:** विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. बच्छराज दूगड़ ने आगामी सत्र 2012–13 से अहिंसा एवं शांति विभाग में दो विषयों में M.A. in Non-violence and Peace एवं M.A. in Political Science में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित पाठ्यक्रम को विद्या परिषद के समक्ष रखा। इस प्रस्तावित पाठ्यक्रम के अनुसार कोई विद्यार्थी चाहे तो तीन वर्षों में दोनों विषयों में एम.ए. की उपाधि प्राप्त कर सकता है। विचार–विमर्श के पश्चात् इन पाठ्यक्रमों को आगामी सत्र से संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत परीक्षकों की सूची को भी अनुमोदित किया गया।

   विभाग द्वारा बारहवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अहिंसा एवं शांति विभाग में निम्नांकित केन्द्र/कार्यक्रम स्थापित करने के प्रस्ताव को भी तैयार कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भिजवाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई :–

   i. Gandhi Study Centre
   ii. Nehru Study Centre
   iii. Women Study Centre
   iv. Rajiv Gandhi Chair for Nonviolence
   v. SAP
   vi. Extension centre
   vii. Social Inclusion and Exclusion Policy

6/7/12

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

4. **जीवन विज्ञान, प्रेक्षाध्यान एवं योग विभाग:** विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. जे.पी.एन.मिश्रा ने अध्ययन मण्ड़ल द्वारा आगामी सत्र से M.A./M.Sc. in Clinical Psychology एवं योग–प्रेक्षाध्यान में प्रमाण पत्र का पाठ्यक्रम विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। इन पाठ्यक्रमों को आगामी सत्र से संचालित करने की स्वीकृति विद्या परिषद द्वारा प्रदान की गई।

   विभागाध्यक्ष ने विभिन्न क्षेत्रों यथा – कारपोरेट, इन्डस्ट्री, चिकित्सा, शिक्षा, एवं अर्धसैनिक बलों के लिए जीवन विज्ञान–प्रेक्षाध्यान आधारित प्रशिक्षण की एक कार्य योजना की रूपरेखा परिषद को बताई जिसे परिषद ने स्वीकृति प्रदान की।

5. **समाज कार्य विभाग:** विभागाध्यक्ष प्रो. आर.बी.एस. वर्मा ने समाज कार्य विभाग के अध्ययन मण्ड़ल द्वारा स्वीकृत समाज कार्य विभाग के वर्तमान पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन एवं पीएच.डी. कोर्स के पाठ्यक्रम को सदन के समक्ष रखा। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य पाठ्यक्रमों को संचालित करने की जानकारी भी सदन को दी गई।

   1- Post Graduate Diploma in Corporate Social Responsibility
   2- Post Graduate Diploma in Human Resource Management
   3- Post Graduate Diploma in Gender Empowerment
   4- Post Graduate Diploma in Counseling and Communication

   उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों को विद्या परिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान की।

   विद्यार्थियों को फील्ड वर्क के अर्न्तगत परीक्षा में जो अंक प्रदान किये जाते हैं, उनमें कुछ संशोधन के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि 200 अंको के फील्ड वर्क की परीक्षा में से 150 अंक बाह्य परीक्षक द्वारा एवं 50 अंक अन्तरिक मूल्यांकन से दिये जायेंगे।

   विभाग द्वारा बारहवी पंचवर्षीय योजना के अर्न्तगत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदान हेतु जो परियोजनाएं बनायी गयी है, उसे सदन के समक्ष रखा तथा उन परियोजनाओं को भिजवाने हेतु विद्या परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

6. **शिक्षा विभाग:** शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. बनवारीलाल जैन ने सदन के समक्ष अध्ययन मण्ड़ल द्वारा आगामी सत्र से एम.एड़ पाठ्यक्रम में संशोधन एवं सेमेस्टर प्रणाली के अर्न्तगत परीक्षा करवाने एवं आगामी सत्र से निम्नांकित त्रैमासिक प्रमाण पत्र प्रारम करने का प्रस्ताव दिया –

   1. अनुदेशनात्मक विधि और माध्यम (Instructional Method and Media)
   2. शिक्षा मनोविज्ञान (Educational Psychology)

   इस सम्बन्ध में विचार–विमर्श करने के पश्चात् विद्या परिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान की।

7. **अंग्रेजी विभाग:** अंग्रेजी विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष श्री संजय गोयल ने सदन को बताया कि वर्तमान में संचालित एम.ए. के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को अध्ययन में परेशानी आ रही है, तथा

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

6/3/12

कुछ परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाती है। इस सम्बन्ध में विद्या परिषद के सदस्यों ने आपत्ति प्रकट की कि पहले से स्वीकृत पाठ्यक्रम में सत्र के मध्य मे कोई परिवर्तन किया जाना नियमों का उल्लंघन है। विद्या परिषद ने कुलपति महोदया को अधिकृत किया कि वे विषय के नये अध्ययन मण्डल का गठन करवाकर उसके माध्यम से पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करके आगामी सत्र के लिये नया पाठ्यक्रम लागू करवायें तथा उस पाठ्यक्रम को विद्या परिषद की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।

8- **दूरस्थ शिक्षा** : दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉ. आनन्द प्रकाश त्रिपाठी ने विद्या परिषद को सूचित किया कि निदेशालय के अंग्रेजी विषय के अध्ययन मण्ड़ल द्वारा स्वीकृत एम.ए. अंग्रेजी का पाठ्यक्रम विद्या परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में संचालित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में विद्या परिषद द्वारा आपत्ति प्रकट की गई कि परिषद की स्वीकृति के बिना यह पाठ्यक्रम कैसे प्रारम्भ किया गया ? गहन विचार विमर्श के पश्चात् विद्या परिषद ने इस पाठ्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की और निर्देशित किया कि भविष्य में विश्वविद्यालय का कोई विभाग विद्या परिषद की स्वीकृति के बिना कोई नया पाठ्यक्रम लागू नहीं करें।

9- **आचार्य कालू कन्या महाविद्यालयः** आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. समणी मल्लीप्रज्ञा ने अध्ययन मण्ड़ल द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया:

1. Certificate Course in Journalism and Mass Media (Six Month)
2. Diploma in Banking

विद्या परिषद द्वारा इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 या अधिक होने पर संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

10. **परीक्षा विभागः** परीक्षा विभाग की सहायक कुलसचिव श्रीमती रश्मिता राय ने अन्य विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नियमित विद्यार्थियों की परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली के द्वारा संचालित करने की जानकारी सदन के समक्ष रखी। विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर नियमित विद्यार्थियों की सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली संचालित करने के लिए नियम बनाने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, तथा कमेटी द्वारा इस सम्बन्ध में जो सिफारिशें दी गयी, उन्हें सदन के समक्ष रखा। इसके अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक कक्षा के पत्रों को उत्तीर्ण करने हेतु मूल परीक्षा के साथ दो अतिरिक्त मौके दिये जायेंगे।

11. विद्या परिषद द्वारा श्री पंकज जैन, Assistant Professor, Dept. of Anthropology and Religion, University of North Texas, USA को जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग में शोध अधिकारी एवं प्रो. विनय जैन, Director (Retd.), INMAS, New Delhi को जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान एवं योग विभाग में एमिरिटस प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

6/7/12

12. विद्या परिषद के सदस्य डॉ. आशुतोष प्रधान का विचार था कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अध्यापन करने वाले व्यक्तियों की पात्रता का निर्धारण निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए। इसके पश्चात् ही उन्हें अध्यापन की अनुमति दी जायें।

13. विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि भविष्य में विद्या परिषद की बैठक की सूचना के साथ विषय सूची से सम्बन्धित प्रपत्र सभी सदस्यों को यथासंभव पूर्व में ही प्रेषित कर दिये जाये ताकि सदस्य उनका अध्ययन कर सके।

अंत में कुलसचिव महोदय द्वारा कुलपति महोदया एवं अन्य सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

6/7/12

(प्रो. जे.पी.एन.मिश्रा)
कुलसचिव,

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं – 341 306 (राजस्थान)

दिनांक 21 फरवरी, 2015 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 21 फरवरी, 2015 को प्रातः 10.30 बजे माननीया कुलपति समणी चारित्रप्रज्ञा जी की अध्यक्षता में कुलपति कान्फ्रेंस हॉल में विद्या परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:

1.	समणी चारित्रप्रज्ञा, कुलपति	अध्यक्षा
2	प्रो. समणी चैतन्य प्रज्ञा	सदस्य
3.	प्रो. दामोदर शास्त्री	सदस्य
3.	प्रो. जे.पी.एन.मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो. आर.बी.एस. वर्मा	सदस्य
5.	प्रो. बनवारीलाल जैन	सदस्य
6.	प्रो. रेखा तिवारी	सदस्या
5.	प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी	सदस्य
6.	डॉ. समणी मल्लीप्रज्ञा	सदस्या
7.	प्रो. वच्छराज दूगड़	सदस्य
9.	डॉ. समणी सत्य प्रज्ञा	सदस्या
10.	डॉ. विजेन्द्र प्रधान	सदस्य
11.	डॉ. मनीष भटनागर	सदस्य
12.	डॉ. जुगलकिशोर दाधीच	सदस्य
13.	डॉ. शशिबाला सिंह	सदस्य
14.	प्रो. ओ.पी.पाण्डेय	सदस्य
16.	प्रो. अशोक बापना	सदस्य
17.	प्रो. राजुल भार्गव	सदस्या
18.	प्रो. एस.पी.दुबे	सदस्य
19.	प्रो. एस. सी. राजोरा	सदस्य
20.	प्रो. एन. कृष्णास्वामी	विशेष आमंत्रित
21.	प्रो. अनिल धर	कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीया कुलपति महोदया द्वारा बैठक में आगन्तुक समस्त महानुभावों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

(01) **गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।**
(Approval of minutes of the 28th Meeting held on January 25, 2014)
सदन द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2014 के बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

(02) **चोइस बेसड क्रेडिट सिस्टम लागू करने की अनुमति।**
(Approval for adoption of Choice Based Credit System)
कुलसचिव ने विद्या परिषद को यह जानकारी दी की माननीया कुलपति महोदया ने प्रो. आर.बी.एस. वर्मा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार संस्थान के समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों हेतु Choice Based Credit System का प्रारूप बनाकर देने का दायित्व दिया था। इस प्रारूप को अनुमोदन हेतु विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस विषय पर विचार–विमर्श के पश्चात् विद्या परिषद द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई।

Bmehta

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

(03) निम्नलिखित विभागों /महाविद्यालयों में अध्ययन मंड़ल द्वारा पारित संशोधित/नवीन पाठ्यक्रमों एवं उनसे सम्बन्धित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श एवं अनुमोदन –
(Discussion and approval recommended syllabus (amended/new) by Board of Studies of their respective departments) –

(i) जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग (Dept. of Jainology and Comparative Religion & Philosophy)

विभागाध्यक्षा प्रो. समणी चैतन्यप्रज्ञा ने विद्या परिषद को यह जानकारी दी की एम.ए. के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है तथा आगामी सत्र से विभाग में C.B.C.S. प्रणाली लागू की जाएगी। विद्या परिषद द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई।

(ii) संस्कृत एवं प्राकृत विभाग (Dept. of Sanskrit and Prakrit)

इस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो दामोदर शास्त्री ने सदन को यह जानकारी दी की एम.ए संस्कृत एवं प्राकृत के पाठ्यक्रमों मे अध्ययन मण्ड़ल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है। इस सन्दर्भ मे प्रो. बच्छराज दूगड़ का विचार था कि एम. ए. संस्कृत प्रथम सत्र के तृतीय पत्र का नाम "संस्कृत काव्य साहित्य" के स्थान पर "जैन संस्कृति एवं साहित्य" किया जाये। इस सन्दर्भ में यह विचार आया कि विभागाध्यक्ष प्रो. एस.पी.दुबे से इस सन्दर्भ में विचार–विमर्श कर आवश्यक संशोधन कर लेवे; इस सम्बन्ध में विद्या परिषद ने अंतिम निर्णय लेने हेतु माननीया कुलपति महोदया को अधिकृत किया।

इसके अतिरिक्त प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि अध्ययन मण्ड़ल की बैठक एम.ए. हिन्दी का पाठ्यक्रम पारित करवा लिया गया है, इस सम्बन्ध में विचार आया कि पाठ्यक्रम में हिन्दी उपन्यास एवं हिन्दी कहानी का पाठ्यक्रम अलग–अलग करना चाहिए। विद्या परिषद द्वारा पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन के साथ इसे स्वीकृत किया गया कि इसे प्रारम्भ करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाए। आगामी सत्र से एम.ए. संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी से C.B.C.S. प्रणाली लागू करने की भी जानकारी सदन को दी गई।

प्रो. दामोदर शास्त्री, विभागाध्यक्ष ने विभाग के नामकरण में परिवर्तन करने का सुझाव सदन के समक्ष रखा। सदन ने इस विषय पर काफी विचार–विमर्श के पश्चात् विभाग का नाम "प्राच्य विद्या एवं भाषा विभाग" रखने की स्वीकृति प्रदान की।

(iii) जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान एवं योग विभाग (Dept. of Science of Living Preksha Meditation and Yoga)

इस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. जे.पी.एन. मिश्रा ने एम.ए./एम.एस.सी. जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान एवं योगा के पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्ड़ल द्वारा पारित आवश्यक संशोधनों एवं आगामी सत्र से विभाग में C.B.C.S. प्रणाली लागू करने की जानकारी सदन के समक्ष रखी, जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष ने विभाग का नामकरण परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव सदन सदन के समक्ष रखा, जिसे विद्या परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया। आगामी सत्र से विभाग का नाम "योग एवं जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान विभाग" "Department of Yoga and Science of Living" होगा।

(iv) अहिंसा एवं शांति विभाग (Dept. of Non-Violence & Peace)

विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. अनिल धर ने M.A. in Non violence and Peace एवं M.A. in Political Science. B.A. (NVP स्नातक स्तर पर) M.Phil (NVP) के पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्डल द्वारा संशोधित पारित पाठ्यक्रम को विद्या परिषद के समक्ष रखा एवं आगामी सत्र से विभाग में C.B.C.S. प्रणाली लागू करने की जानकारी सदन को दी, जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्व–सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

(v) समाज कार्य विभाग (Dept. of Social Work)

विभागाध्यक्ष प्रो. आर.बी.एस. वर्मा ने समाज कार्य विभाग के अध्ययन मण्डल द्वारा स्वीकृत समाज कार्य विभाग के वर्तमान पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन एवं आगामी सत्र से विभाग में C.B.C.S. प्रणाली लागू करने की जानकारी सदन को दी। जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्व–सम्मति से पारित किया गया।

(vi) शिक्षा विभाग (Department of Education)

विभागाध्यक्ष प्रो. बनवारीलाल जैन ने सदन को बताया कि आगामी सत्र से बी.एड् एवं एम. एड् का पाठ्यक्रम दो वर्ष का हो गया है। उपरोक्त पाठ्यक्रम NCTE के Frame Works के अनुसार किये जाने के बारे में जानकारी दी। इस सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा अध्ययन मण्डल की बैठक में पाठ्यक्रम तैयार कर लिया जाए तथा इसे लागू करने के लिए विद्या परिषद ने माननीया कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

(vii) अंग्रेजी विभाग (Department of English)

अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्षा प्रो. रेखा तिवारी ने एम.ए. अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधनों की जानकारी के साथ आगामी सत्र से C.B.C.S प्रणाली लागू करने की जानकारी सदन को दी। सदन में क्रेडिट सिस्टम समान नहीं होने के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा प्रश्न उठाया गया । काफी विचार–विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि समस्त पेपरों में क्रेडिट सिस्टम में समानता होनी चाहिए।

(viii) आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय (Acharya Kalu Kanya Mahavidyalaya)

आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. समणी मल्लीप्रज्ञा जी ने आगामी सत्र से अध्ययन मण्डल द्वारा पारित बी.ए./बी.काम. के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन की जानकारी के साथ स्नातक स्तर पाठ्यक्रमों में से C.B.C.S प्रणाली लागू करने की जानकारी सदन को दी।

इसके अतिरिक्त आगामी सत्र से बैंकिंग का एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की जानकारी सदन को दी। उपरोक्त दोनो प्रस्ताव विद्या परिषद द्वारा सर्व–सम्मति से पारित किए गये।

(ix) दूरस्थ शिक्षा (Distance Education)

- दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी ने अध्ययन मण्डल द्वारा पारित एम.ए. राजनीति विज्ञान का पारित पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा से प्रारम्भ करने की जानकारी सदन को दी। इस सम्बन्ध में यह विचार आया कि "जैन संस्कृति एवं जीवन मूल्य" के स्थान पर "जैन राजनेतिक विचार एवं जीवन मूल्य" अधिक उपयुक्त होगा। विद्या परिषद द्वारा आगामी सत्र से इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

- प्रो. त्रिपाठी ने वर्तमान में संचालित बी.पी.पी. पाठ्यक्रम को इसी सत्र से वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित पाठ्यक्रम (पांच पत्रों – सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, प्रारम्भिक गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान) के अनुसार परिवर्तन कर लागू करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा। उन्होंने यह भी बताया कि इससे संस्थान, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के अनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से अनुमति लेकर बी.पी.पी. को 10+2 के समकक्ष करने की अनुमति ले सकता हैं। विद्या परिषद द्वारा आगामी सत्र से इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

- बी.पी.पी. कोर्स करने के पश्चात् संस्थान से बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की समय सीमा एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

- सदन में सर्वसम्मिति से यह भी निर्णय लिया गया कि बी.पी.पी. के कोर्स को संस्थान में सिद्धान्तः 10+2 के समकक्ष माना जा सकता है। इस हेतु विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों को प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

- प्रो. त्रिपाठी ने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्तमान में संचालित समस्त उपाधि पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को दिये जाने वाले दो सत्रीय कार्य के स्थान पर एक सत्रीय कार्य किये जाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा जिसे विद्या परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(04) **सी.आई.ए. प्रणाली में सुधार हेतु अनुमति।**
(Approval for modification in C.IA. System)

माननीया कुलपति महोदया की दिनांक 07 जनवरी, 2015 को आयोजित समस्त विभागाध्यक्षों की बैठक में संस्थान में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में C.I.A. System में परिवर्तन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की जानकारी दी जिसके अनुसार समस्त पाठ्यक्रमों में अंकों का विभाजन निम्न प्रकार से रहेगा :

अ.	प्रार्थना, ध्यान, एवं कक्षाओं में उपस्थिति	10 अंक
ब.	मिड़– टर्म टैस्ट	10 अंक
स.	विभागीय सेमीनार प्रस्तुति	05 अंक
द.	असाईन्मेंट	05 अंक
	कुल	30 अंक

विद्या परिषद द्वारा इस निर्णय को स्वीकृति प्रदान की गई।

(05) माननीया कुलपति महोदया ने विद्या परिषद के समक्ष प्रो. फूलचंद जैन, वाराणसी को जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग में एवं प्रो. अशोक बापना, जयपुर को अहिंसा एवं शांति विभाग में ऐमरिट्स प्रोफेसर के मनोनयन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को विद्या परिषद द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया।

(06) विद्या–परिषद् के समक्ष निम्नलिखित नवीन नीतियों को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया–

i. E-Governance Policy
ii. Innovative Research Award Policy
iii. Policy for Financial Support to Faculty for Academic Development
iv. Information and Technology (IT) Policy
v. Strategic Plan for Funds Mobilization from External Resources

विद्या–परिषद् के सदस्यों द्वारा संस्थान द्वारा विविध–नियमों के संदर्भ में स्पष्टता, एकरूपता एवं पारदर्शिता लाने हेतु निरन्तर विकसित की जा रही इन अति आवश्यक नवीन नीतियों के संबंध में सराहना की गई एवं सभी नीतियों को लागू करने हेतु सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(07) संस्थान के सत्र 2013–14 के परीक्षा–परिणामों के संबंध में परीक्षा–समिति की रिपोर्ट को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सदन द्वारा परीक्षाओं–परिणामों के संदर्भ में प्रस्तुत परीक्षा–समिति की अनुमोदनाओं को स्वीकृत किया गया।

अन्त में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(प्रो. अनिल धर)
कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं – 341 306 (राजस्थान)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अर्न्तगत मान्य विश्वविद्यालय घोषित)

दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को अपरान्ह् 02.30 बजे माननीया कुलपति समणी चारित्रप्रज्ञा जी की अध्यक्षता में कुलपति कान्फ्रेंस हॉल में विद्या परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः

01	समणी चारित्रप्रज्ञा, कुलपति	अध्यक्षा
02	प्रो. दामोदर शास्त्री	सदस्य
03	प्रो. आर.बी.एस. वर्मा	सदस्य
04	प्रो. बनवारीलाल जैन	सदस्य
05	प्रो. रेखा तिवारी	सदस्या
06	प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी	सदस्य
07	डॉ. समणी मल्लीप्रज्ञा	सदस्या
08	डॉ. बिजेन्द्र प्रधान	सदस्य
09	डॉ. मनीष भटनागर	सदस्य
10	डॉ. जुगलकिशोर दाधीच	सदस्य
11	डॉ. सत्यनारायण भारद्वाज	सदस्य
12	प्रो. ओ.पी.पाण्ड्रेय	सदस्य
13	प्रो. एस. सी. राजोरा	सदस्य
14	प्रो. शरद राजीमवाल	विशेष आमंत्रित
15	डॉ. योगेश कुमार जैन	विशेष आमंत्रित
16	डॉ. विवेक माहेश्वरी	विशेष आमंत्रित
17	प्रो. अनिल धर	कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीया कुलपति महोदया द्वारा बैठक में आगन्तुक समस्त महानुभावों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

(01) **गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।**
(Approval of minutes of the 29th Meeting held on February 21, 2015)
सदन द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2015 के बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

(02) **निम्नलिखित विभागों /महाविद्यालयों में अध्ययन मंड़ल द्वारा पारित संशोधित/नवीन पाठ्यक्रमों एवं उनसे सम्बन्धित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श एवं अनुमोदन –**
(Discussion and approval recommended syllabus (amended/new) by Board of Studies of their respective departments) –

(i) जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग (Dept. of Jainology and Comparative Religion & Philosophy)

(1) एम. ए. पाठ्यक्रम में त्रैमासिक प्रमाण–पत्र पाठयक्रम प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में :

इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि क्योंकि त्रैमासिक प्रमाण–पत्र प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग के अध्ययन–मण्डल की पाठ्यक्रम स्वीकृति आवश्यक है। अतः इसे अध्ययन–मण्डल से पारित करवा के आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाये एवं इससे सेमेस्टर सिस्टम को हटाया जाना अपेक्षित है।

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

(2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में किये गये आंशिक परिवर्तनों की स्वीकृति :

डॉ योगेश जैन ने सदन को बताया कि अध्ययन–मण्डल की स्वीकृति पश्चात् स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में निम्नलिखित आंशिक परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत :

- Sem. II/Paper III – Tibetan Religion has been added with Chinese and Japanese Religions
- Sem. II/Paper II- The Book Karma Prakriti is replaced with Tattvarthsutra, ch 8.
- The Book Karmagranth of Mishrimalji is replaced with Karmagranth translated by Pt. Sukhlal Sanghvi
- Sem. IV/Paper IX – The word "Inscription" has been added to the title of the paper "Manuscriptology". Now it is Manuscriptology and Inscriptions.
- The Brahmi Script also will be taught in this paper.

इसे विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(3) निम्नलिखित प्रपोजल स्वीकृति हेतु प्रस्तुत :

डॉ. एन. एल. कछारा को मानद् डी लिट की उपाधि

आचार्य नन्दीघोषसूरी को पीएच. डी. की मानद उपाधि

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि क्योंकि ये प्रस्ताव विद्या परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अतः इस प्रस्ताव को उचित एवं सक्षम मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया जाये, तब तक इस पर किसी प्रकार का निर्णय न लिया जाये।

(4) एमिरिट्स प्रोफेसर के नियुक्ति के सम्बन्ध में :

विभाग द्वारा निम्नलिखित विद्वानों को एमिरिट्स प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति प्रदान करने हेतु पूर्व में प्रस्ताव रखा गया था, जिसे कुलपति महोदया ने स्वीकृति प्रदान की थी तथा इस विद्या परिषद् से इसकी अनुमोदना प्रस्तावित की जिसे विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी :

1. नारायण लाल कछारा
2. प्रो. नरेन्द्र भण्डारी
3. प्रो. कौशल प्रसाद मिश्रा
4. प्रो. सुरेन्द्र सिंह पोखरणा
5. प्रो. भागचन्द जैन भास्कर

(5) शोध परियोजना मे फैलोशिप प्रदान करने के सम्बन्ध में :

विभाग द्वारा संचालित भगवान महावीर अर्न्राष्ट्रीय शोध केन्द्र के अन्तर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं में शोधार्थियों को निम्नलिखित फैलोशिप प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया :

- सीनियर स्कोलर रिसर्च फैलोशिप
- जूनियर रिसर्च फैलोशिप
- पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि फैलोशिप के नामांकरण में परिवर्तन किया जाये जैसे जूनियर फैलोशिप / जूनियर रिसर्च एसोसियट्, सीनियर फैलोशिप / सीनियर रिसर्च एसोसियट् एवं डॉक्टर फैलोशिप रखा जा सकता है। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त फैलोशिप प्रदान करने के लिए विभाग विभिन्न वित्तीय संस्थाओं / अनुदानदाताओं के माध्यम से दी जाने की स्वीकृति प्राप्त कर इसे योजना एवं निगरानी

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

समिति तथा प्रबंध मण्डल की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त उक्त फैलोशिप विशिष्ठ रूप से जैनविद्या आदि से संबंधित प्रतीत हो, उस हेतु इस के नाम पर पुनः विचार करें।

(ii) प्राच्य विद्या एवं भाषा विभाग (Dept. of Prachya Vidya Evam Bhasha)

(1) संस्कृत–प्रमाणपत्र (छः माही पाठ्यक्रम) की स्वीकृति

(2) त्रैमासिक प्राकृत–प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की स्वीकृति

(3) एम.ए. (संस्कृत) में ऐच्छिक प्रश्नपत्रों में वर्ग 'द' के रूप में कालूव्याकरण की स्वीकृति

प्रो. दामोदर शास्त्री ने सदन को बताया कि उपरोक्त पाठ्यक्रम अध्ययन–मण्डल से पारित है। अतः विद्या परिषद द्वारा इन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(iii) योग एवं जीवन–विज्ञान विभाग (Dept. of Yoga and Science of Living)

(1) दो प्रमाण–पत्रों पाठ्यक्रम (अ. प्रेक्षा–ध्यान तथा ब. योग) जयपुर केन्द्र पर प्रारम्भ करने की स्वीकृति हेतुः

इस संबंध में विद्या परिषद ने समयावधि में कमी करने सुझाव देते हुए पाठ्यक्रम को संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(2) एमिरिट्स प्रोफेसर के नियुक्ति के सम्बन्ध में :

विभाग द्वारा निम्नलिखित विद्वानों को एमिरिट्स प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव रखा गया :

1. डॉ. अरविन्द माथुर, प्रोफेसर एवं पूर्व–प्राचार्य, डॉ एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
2. प्रो. के.के. शर्मा, पूर्व–कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विभाग द्वारा उपरोक्त विद्वानों एमिरिट्स प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मिति से पारित किया गया।

(3) विजिटिंग प्रोफेसर के नियुक्ति के सम्बन्ध में :

विभाग द्वारा डॉ. के. आर. हल्दिया, डीएमआरसी, जोधपुर को विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति प्रदान करने प्रस्ताव रखा गया जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मिति से पारित किया गया।

(4) प्रेक्षा–ध्यान को दस दिवसीय क्रेश कोर्स प्रारम्भ करने की स्वीकृति हेतु :

इस क्रेश कोर्स को विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मिति से पारित किया गया।

(iv) अहिंसा एवं शांति विभाग (Dept. of Non-Violence & Peace)

(1) एमिरिट्स प्रोफेसर के नियुक्ति के सम्बन्ध में :

विभाग द्वारा निम्नलिखित विद्वानों को एमिरिट्स प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति प्रदान करने हेतु पूर्व में प्रस्ताव रखा गया था, जिसे कुलपति महोदया ने स्वीकृति प्रदान की थी तथा इस विद्या परिषद् से इसकी अनुमोदना प्रस्तावित की जिसे विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी

1. डॉ. नरेश दाधीच, पूर्व कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
2. प्रो. सतीश रॉय, विभागाध्यक्ष / निदेशक, गान्धी अध्ययन केन्द्र, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस

विभागाध्यक्ष प्रो अनिल धर ने सदन को बताया कि विभाग में अहिंसा एवं शांति में एम. फिल. का पाठ्यक्रम संचालित है इसी तरह विभाग में छात्रों की मांग के अनुसार एम. फिल. राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति चाही। इस संबंध में विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस पाठ्यक्रम को अध्ययन–मण्डल द्वारा पारित करवाकर

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

कुलपति को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया। प्रो. अनिल धर के व्यक्तिगत सुझावानुसार अहिंसा एवं शांति एम.फिल. को अधिक सशक्त एवं प्रमोट किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा जयपुर में 'Creative Nonviolent leadership' का एक सप्ताह का कोर्स प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्राप्त की।

(v) समाज कार्य विभाग (Dept. of Social Work)

विभाग द्वारा प्रो. एस.आर. बिल्लोरे, भोपाल को एमिरिट्स प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति प्रदान करने हेतु पूर्व में प्रस्ताव रखा गया था, जिसे कुलपति महोदया ने स्वीकृति प्रदान की थी तथा इस विद्या परिषद् से इसकी अनुमोदना प्रस्तावित की जिसे विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी :

(vi) शिक्षा विभाग (Department of Education)

विभागाध्यक्ष प्रो. बनवारीलाल जैन ने सदन को बताया कि आगामी सत्र से विभाग में बी. ए.–बी.एड. / बी.एससी.–बी.एड इन्टीग्रेटेड़ पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। बी.ए.–बी. एड. का पाठ्यक्रम की रूपरेखा अध्ययन–मण्डल की बैठक में पारित करवा लिया गया है। एवं बी.एससी.–बी.एड. के पाठ्यक्रम के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पाठ्यक्रम को अध्ययन–मण्डल से पारित करवाकर कुलपति की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाये। सर्वसम्मिति से इस निर्णय को पारित किया गया।

(vii) अंग्रेजी विभाग (Department of English)

विभाग द्वारा प्रो. शरद राजीमवाला, जोधपुर को एमिरिट्स प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति प्रदान करने प्रस्ताव रखा गया जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मिति से पारित किया गया।

(viii) आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय (Acharya Kalu Kanya Mahavidyalaya)

आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित विचारणीय बिन्दुओं पर पूर्व बैठक में ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। अतः इस संबंध में कोई विचार नहीं किया गया ।

(ix) दूरस्थ शिक्षा (Distance Education)

(1) एम.ए. / एम.एस.सी. योग एवं जीवन–विज्ञान

(2) एम.ए. जैन विद्या, तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन

प्रो. आनन्द प्रकाश त्रिपाठी ने सदन को बताया कि उपरोक्त दोनों प्रस्तावों में अध्ययन–मण्डल से पारित करवाकर आंशिक परिवर्तन किया गया है।

उपरोक्त दोनों प्रस्ताव को विद्या परिषद द्वारा सर्व–सम्मिति से पारित किए गए।

(03) संस्थान के अकादमिक सत्र 2014–15 के परीक्षा–परिणामों के संदर्भ में परीक्षा–समिति की रिपोर्ट को सदन के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।

सदन द्वारा परीक्षाओं–परिणामों के संदर्भ में प्रस्तुत परीक्षा–समिति की अनुमोदना को स्वीकृत किया गया एवं सलाह दी गई कि संस्थान द्वारा परीक्षा–परिणामों को परीक्षा आयोजना के पश्चात् यथाशीघ्र घोषित किया जाए।

अन्त में माननीया कुलपति महोदया ने अपने कार्यकाल की समाप्ति की सूचना सदन को देते हुए सभी सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए आभार ज्ञापित किया। विद्या परिषद के सभी सदस्यों ने कुलपति महोदया के भावी जीवन के लिए अपनी शुभकामनाऐं प्रस्तुत की।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(प्रो. अनिल धर)
कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं – 341 306 (राजस्थान)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत मान्य विश्वविद्यालय घोषित)

दिनांक 29–30 अप्रैल, 2017 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 29–30 अप्रैल, 2017 को माननीय कुलपति महोदय प्रो. बच्छराज दूगड़ की अध्यक्षता में कुलपति कॉन्फ्रेंस हॉल में विद्या परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया–

1.	प्रो. बच्छराज दूगड़, कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो. नलिन कुमार शास्त्री	सदस्य
3.	प्रो. आर.एस. यादव	सदस्य
4.	प्रो. के.एन. व्यास	सदस्य
5.	प्रो. समणी ऋजु प्रज्ञा	सदस्य
6.	प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो. अनिल धर	सदस्य
8.	प्रो. बनवारीलाल जैन	सदस्य
9.	डॉ. बिजेन्द्र प्रधान	सदस्य
10.	डॉ. समणी संगीत प्रज्ञा	सदस्य
11.	डॉ. समणी श्रेयस प्रज्ञा	सदस्य
12.	डॉ. अमिता जैन	सदस्य
13.	डॉ. रविन्द्रसिंह राठौड़	सदस्य
14.	डॉ. प्रद्युम्नसिंह शेखावत	सदस्य
15.	डॉ. युवराजसिंह खंगारोत	सदस्य
16.	डॉ. सत्यनारायण भारद्वाज	सदस्य
17.	डॉ. गोविन्द सारस्वत	सदस्य
18.	प्रो. दामोदर शास्त्री	विशेष आमंत्रित
19.	डॉ. जुगलकिशोर दाधीच	विशेष आमंत्रित
20.	डॉ. योगेश जैन	विशेष आमंत्रित
21.	डॉ. जितेन्द्र कुमार वर्मा	विशेष आमंत्रित
22.	श्री विनोद कुमार कक्कड़	कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा विद्या परिषद् के नवीन सदस्यों एवं बैठक में भाग लेने वाले समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। दो दिवसीय बैठक में मुख्य रूप से नवीन परीक्षा–स्वरूप, प्रोफेसर एमेरिटस, शोध–परियोजना नियमावली, नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, पूर्व पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन, शुल्क–योजना में परिवर्तन, पाठ्यक्रमों एवं परीक्षा–आयोजना में लचीलापन (flexibility) आदि विविध विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यक सुझावों के साथ स्वीकृतियाँ प्रदान की गईं। बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

(01) अनुपस्थित सदस्यों के अवकाश की स्वीकृति
(Granting of Leave of Absence)

विद्या परिषद् के सदस्यों प्रो. मुनि महेन्द्र कुमार, प्रो. समणी चैतन्य प्रज्ञा, प्रो. समणी कुसुम प्रज्ञा एवं डॉ. समणी रोहिणी प्रज्ञा की बैठक में अनुपस्थिति की स्वीकृति प्रदान की गई।

(02) गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।
(Approval of minutes of the 30th Meeting held on 27th April, 2016)

सदन द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

(03) निम्नलिखित विभागों /महाविद्यालय में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधित/नवीन पाठ्यक्रमों एवं उनसे सम्बन्धित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श एवं अनुमोदन –
(Discussion and approval of recommended syllabus (amended/new) by Board of Studies of their respective departments)–

(A) परीक्षा प्रारूप एवं नियम

सर्वप्रथम सभी विभागों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार संबंधित प्राध्यापक द्वारा ही प्रश्न–पत्र तैयार कर इकाई–परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा एवं पूर्ण पारदर्शिता एवं ईमानदारी से उसका मूल्यांकन किया जाएगा। पारदर्शिता एवं ईमानदारी के मूल्यांकन हेतु समय–समय पर बाह्य परीक्षकों के प्रश्न–पत्रों से भी परीक्षा–आयोजना करवाई जाएगी। यह परीक्षा प्रणाली आगामी सत्र 2017–18 से लागू होगी।

विद्या परिषद् के सभी सदस्यों द्वारा इस नवीन परीक्षा–प्रणाली की प्रशंसा की गई एवं इसे अति नवीन एवं प्रभावी बताया गया, जिसमें भारतीय एवं विदेशी दोनों परीक्षा–प्रणालियों का समायोजन है। नवीन शिक्षण–पद्धतियों के अनुसार इसे और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा–प्रणाली में निम्न सुझावों के समावेश के साथ विद्या परिषद द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई–

- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु प्रत्येक सेमेस्टर में दो बार Unit End Test आयोजित किया जाएगा। Unit End Test में एक साथ दो इकाइयों की परीक्षा आयोजित की जायेगी। इसके अंक–विभाजन का प्रारूप निम्न प्रकार होगा–

Unit End Test	CIA	Term Paper
60	20	20

- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु विद्यार्थियों द्वारा Term Paper में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट Smart Board पर प्रस्तुत की जाए एवं इस हेतु Smart Board के उपयोग में विद्यार्थियों को दक्ष बनाने हेतु एक कार्यशाला का भी आयोजन किया जाए।
- स्नातकोत्तर स्तर पर "Core-Foundation" के रूप में विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में Introduction to Jainism एवं द्वितीय सेमेस्टर में 7 वैकल्पिक पत्र–Value Education and Spirituality; Information Technology and Computer Application; The Use of English; Nonviolence and Peace; Preksha Meditation and Self-Management; Introduction to Prakrit; Social Work: Themes and Practice उपलब्ध होंगे, जिनमें से विद्यार्थी किसी एक पत्र का चयन करेगा। विद्यार्थी जिस विभाग का होगा उस विभाग के वैकल्पिक–पत्र का चयन नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार जैन विद्या के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को "Core-Foundation" के रूप में प्रथम सेमेस्टर में "Nonviolence and Peace" तथा द्वितीय सेमेस्टर में 6 वैकल्पिक पत्र–Value Education and Spirituality; Information Technology and Computer Application; The Use of English; Preksha Meditation and Self-Management; Introduction to Prakrit; Social Work: Themes and Practice उपलब्ध होंगे, जिनमें से विद्यार्थी किसी एक पत्र का चयन कर सकेगा।
- सभी विभागों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लघु शोध–प्रबन्ध पत्र में लघु शोध–प्रबन्ध हेतु 60 अंक एवं मौखिकी परीक्षा हेतु 40 अंक निर्धारित किये गये। उत्तीर्णांक हेतु सामूहिक रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। मौखिक परीक्षा में उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु उत्तीर्णांक प्रत्येक पत्र हेतु 36 प्रतिशत एवं सभी पत्रों हेतु सामूहिक रूप से 40 प्रतिशत होंगे।
- उत्तीर्णांकों में किये गए नवीन परिवर्तनों के अनुरूप CGPA की ग्रेडिंग 36–49% से प्रारम्भ होगी।
- संस्थान द्वारा Provisonal Merit List ही जारी की जाएगी। पूनर्मुल्यांकन के बाद बढ़े अंकों का प्रभाव Merit List पर नहीं पड़ेगा।
- विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर के न्यूनतम 50 प्रतिशत पत्रों में उत्तीर्ण होने पर ही अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। पत्रों की संख्या विषम होने की स्थिति में 50 प्रतिशत पत्रों की गणना पत्रों

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

की संख्या में 1 अतिरिक्त पत्र जोड़कर की जाएगी, जैसे–5 पत्रों की स्थिति में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 पत्र एवं 7 पत्रों की स्थिति में न्यूनतम 4 पत्र उत्तीर्ण करने पर ही आगामी सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा।

- विद्यार्थियों को अधिकतम 2 अंकों का अनुग्रह (Grace) केवल अन्तिम परीक्षा–परिणाम में उत्तीर्ण होने हेतु प्रदान किया जा सकेगा। इसी प्रकार श्रेणी सुधार हेतु भी अधिकतम 2 अंकों का अनुग्रह (Grace) प्रदान किया जा सकेगा। अन्तिम परिणाम में उत्तीर्ण होने हेतु एवं श्रेणी सुधार हेतु संयुक्त अनुग्रह (Grace) अधिकतम 2 अंकों का ही प्रदान किया जाएगा।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को सभी पत्र उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा एवं उनकी परीक्षा आयोजना परीक्षा–काल के दौरान लागू नवीन पाठ्यक्रम एवं परीक्षा–योजना के अनुरूप ही होगी।
- किसी कारणवश किसी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित न हो पाने वाले विद्यार्थियों को आगामी सेमेस्टर में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं होगी एवं वंचित रहे सेमेस्टर की परीक्षाएं आगामी वर्ष में उस सेमेस्टर की परीक्षा–आयोजना के साथ ही देनी होंगी।
- अगर विद्यार्थी स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के किसी भी पत्र, जिसमें सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों का समावेश है; की प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो वह विद्यार्थी केवल उसी पत्र में अनुत्तीर्ण माना जाएगा एवं ऐसी अवस्था में विद्यार्थी को उस पत्र की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों परीक्षाएं पुनः देनी होंगी।

(B) विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम

(i) जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग (Dept. of Jainology and Comparative Religion & Philosophy)

विभागाध्यक्ष प्रो. समणी ऋजुप्रज्ञा ने विद्या परिषद को यह जानकारी दी की एम.ए. के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार किया गया एवं पाठ्यक्रम में अन्य आवश्यक संशोधनों हेतु भी कई सुझाव प्रदान किये। पाठ्यक्रम में सभी आवश्यक संशोधनों को शामिल किये जाने के सुझाव के साथ विद्या परिषद द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई।

विभागाध्यक्ष द्वारा एम.ए. जैनविद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन के पाठ्यक्रम में सेमेस्टर–3 के प्रथम पत्र में 'न्यायावतार' नामक मूल ग्रंथ के स्थान पर 'प्रमाण–मीमांसा' को शामिल किये जाने का अध्ययन–मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव रखा, जिसे विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

विभागाध्यक्ष ने अध्ययन मण्डल की संस्तुति के आधार पर आगामी सत्र से विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित नवीन अल्पावधि पाठ्यक्रमों (MOOC – Massive Open Online Courses) को प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव रखा–

- जैन ज्योतिष (Jain Astrology)
- जैन जीवनशैली एवं पर्यावरण (Jain Lifestyle and Environment)
- प्रबन्धन : जैन प्रणाली (Jain System of Management)
- पाण्डुलिपि विज्ञान (Manuscriptology)
- विवाह–पूर्व परामर्श (Pre-Marriage Counselling)

विभागाध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक एवं समान संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

(ii) प्राच्य विद्या एवं भाषा विभाग (Dept. of Prachya Vidya Evam Bhasha)

विभागाध्यक्ष डॉ. समणी संगीत प्रज्ञा ने सदन को यह जानकारी दी की एम.ए. संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी के पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्डल द्वारा आंशिक परिवर्तन किया गया है। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमश कर स्वीकृति प्रदान की। सदस्यों द्वारा एम.ए. प्राकृत में लघु शोध–प्रबन्ध को अनिवार्य पत्र के रूप में लागू किये जाने एवं पाली–साहित्य को Elective Papers में शामिल किये जाने अथवा पूर्णतः हटा दिये जाने का सुझाव दिया गया। प्रो. के.एन. व्यास द्वारा शोध–प्रविधि पत्र के शीर्षकों में विषय की आवश्यकता के अनुसार बदलाव किये जाने का सुझाव दिया, जिसे सदन ने स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष द्वारा अध्ययन–मण्डल द्वारा अनुमोदित संस्कृत एवं प्राकृत के त्रैमासिक प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों में किये गये संशोधनों को प्रस्तुत किया गया। सदन ने इन पाठ्यक्रमों में व्याकरण आदि का अधिक समावेश न कर सामान्य व्यक्ति को संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में संभाषण हेतु सक्षम बनाने की दृष्टि से पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधनों का सुझाव दिया। इन त्रैमासिक प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हता के लिए 10वीं उत्तीर्ण अथवा न्यूनतम 18 वर्ष उम्र का निर्धारण किया गया।

विभागाध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे विद्या परिषद के सदस्यों ने सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक एवं समान संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया, जिसे विद्या परिषद् र द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(iii) योग एवं जीवन विज्ञान विभाग (Dept. of Yoga and Science of Living)

विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. प्रद्युम्नसिंह शेखावत ने एम.ए./एम.एस.सी. योग एवं जीवन विज्ञान के पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल द्वारा स्वीकृत आवश्यक संशोधनों की जानकारी सदन के समक्ष रखी। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर अन्य आवश्यक संशोधनों हेतु भी कई सुझाव प्रदान किये–

- यदि किसी सेमेस्टर में कोई आनुप्रायोगिक पाठ्यक्रम शामिल किया जाता है तो यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाए कि उस आनुप्रायोगिक पाठ्यक्रम से संबंधित सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम भी उसी सेमेस्टर में अथवा उससे पूर्व के किसी सेमेस्टर में शामिल किया गया हो।
- Dietetics एवं Nutrition पत्र को वैकल्पिक पत्रों की सूची में शामिल किया जाए अथवा 'प्रेक्षाध्यान एवं स्वास्थ्य–प्रबन्धन' पत्र में समायोजित किया जाए।
- 'Introduction of Ayurveda' पत्र के स्थान पर किसी अन्य उपयोगी पत्र को प्रतिस्थापित किया जाए।

विभागाध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक संशोधनों तथा योग एवं जीवन–विज्ञान विभाग के पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विशेष संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की–

- जीवन विज्ञान विभाग के प्रायोगिक पत्र में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे एवं इस पत्र में अनुत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी उस सम्पूर्ण पत्र में अनुत्तीर्ण माना जाएगा।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(iv) अहिंसा एवं शांति विभाग (Dept. of Non-Violence & Peace)

प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉ. रविन्द्रसिंह राठौड़ ने एम.ए. अहिंसा एवं शांति तथा एम.ए. राजनीति विज्ञान के अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों को विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। विद्या

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर कई सुझाव प्रदान किये–

- सदन ने माननीय कुलपति महोदय से प्राप्त सुझावानुसार एम.ए. अहिंसा एवं शांति; तथा राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रमों में प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित 'Project & Practical' पत्र को हटाकर इसके स्थान पर प्रथम सेमेस्टर में 'Basic Principals of Gandhian Thought' एवं द्वितीय सेमेस्टर में 'Political Sociology' पत्रों को शामिल किये जाने की अनुशंसा की, वहीं एम.ए. राजनीति विज्ञान के तृतीय पत्र में 'Project & Practical' पत्र के स्थान पर 'Federalism and Union State Relations in India' पत्र को लागू किये जाने की अनुशंसा की, जिसे सदन ने सर्वस्वीकृति प्रदान की, जिसे सदन ने सर्वस्वीकृति प्रदान की।

- पाठ्यक्रम में प्रो. आर.एस. यादव के सुझावानुसार अहिंसा एवं शांति; तथा राजनीति विज्ञान में वर्तमान में सम्मिलित एवं प्रचलित नवीन सिद्धान्तों, विचारों, नवीन सन्दर्भ पुस्तकों को शामिल किये जाने एवं शीर्षकों में आवश्यक सामान्य बदलावों के समावेश के साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु विद्या परिषद् ने स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक संशोधनों तथा अहिंसा एवं शांति विभाग के पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यक संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की–

- अहिंसा एवं शांति विभाग में प्रायोगिक पत्र "Training in Nonviolence" में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे एवं इस पत्र में अनुत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी उस सम्पूर्ण पत्र में अनुत्तीर्ण माना जाएगा अर्थात् उसे उस पत्र की सैद्धान्तिक और प्रायोगिक दोनों परीक्षाएं पुनः देनी होंगी।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(v) समाज कार्य विभाग (Dept. of Social Work)

विभागाध्यक्ष डॉ. बिजेन्द्र प्रधान ने एम.ए. समाजकार्य के पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित आवश्यक संशोधनों की जानकारी सदन के समक्ष रखी, जिसमें मुख्य रूप से सेमेस्टर–3 के चतुर्थ पत्र के शीर्षक "Employee Welfare and Social Security" को "Labour Welfare and Social Security" के रूप में परिवर्तित करने एवं अधिकांश विश्वविद्यालयों में वर्तमान में लागू परम्परा के अनुसार विद्यार्थियों को चतुर्थ सेमेस्टर के स्थान पर द्वितीय सेमेस्टर के पश्चात् Block Placement हेतु भेजे जाने के सुझाव थे। इसके अतिरिक्त अध्ययन मण्डल द्वारा कुछ पत्रों में भी संक्षिप्त संशोधन सुझाये गए। विद्या परिषद् ने पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक संशोधनों तथा समाजकार्य के पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विशेष संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की–

- Field Work Practicum (Internal+External) में उत्तीर्ण होने हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक आवश्यक रूप से अर्जित करने होंगे एवं Field Work Practicum में अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण माना जाएगा।

- Field Work हेतु अधिकतम 200 अंकों का निर्धारण किया गया, जिसमें से बाह्य परीक्षक के पास 160 अंक (120 अंक Viva-voce + 40 अंक Compiled Report) एवं संबंधित Supervisor के पास 40 अंक का मूल्यांकन होगा।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

(vi) शिक्षा विभाग (Department of Education)

विभागाध्यक्ष प्रो. बनवारीलाल जैन द्वारा शिक्षा विभाग के बी.एड., एम.एड., बी.ए.–बी.एड., बी.एससी. –बी.एड. पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधनों की जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर उन्हें एवं निम्न कतिपय नवीन निर्णयों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई–

- शिक्षा विभाग के सभी पाठ्यक्रमों हेतु NCTE द्वारा निर्धारित Framework की पूर्ण रूप से अनुपालना की जाए।
- एम.एड. की परीक्षा–आयोजना आगामी सत्र (2017-18) से नवीन परीक्षा–प्रणाली के आधार पर आयोजित की जाए, जो आगामी सत्र के प्रवेशार्थियों पर ही लागू होगी।
- एम.एड. के EPC (Enhancement Professonal Capacity) पत्रों को पाठ्यक्रम से हटाया जाए एवं उनके स्थान पर Core Foundation पत्र के रूप में स्नातकोत्तर हेतु निर्धारित पत्रों को ही रखा जाए।
- बी.ए.–बी.एड., बी.एससी.–बी.एड. एवं बी.एड. पाठ्यक्रमों में Core Foundation पत्र के रूप में प्रथम सेमेस्टर में "Introduction to Jainism" एवं तृतीय सेमेस्टर में "Yoga and Preksha Meditation" तथा "Critical Understanding of ICT" दो अनिवार्य पत्र (50–50 अंक) रखे जाएंगे।
- बी.एससी.–बी.एड. के विद्यार्थी जिन्होंने वर्तमान सत्र (2016–17) में प्रथम सेमेस्टर में "Yoga and Preksha Meditation" एवं "Value Education" पत्र की परीक्षाएँ दी हैं, उनके लिए तृतीय सेमेस्टर में "Introduction to Jainism" एवं "Critical Understanding of ICT" दो अनिवार्य–पत्र (50–50 अंक) के रूप में परीक्षाएँ आयोजित की जाएँ।
- बी.ए.–बी.एड., बी.एससी.–बी.एड. एवं बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रथम सेमेस्टर के पत्र "Preksha Meditation and Yoga Education" को हटाया गया, क्योंकि इसे तृतीय सेमेस्टर में Core-Foundation में "Yoga and Preksha Meditation" अनिवार्य पत्र के रूप में जोड़े जाने की अनुशंसा की गई है।
- बी.ए.–बी.एड., बी.एससी.–बी.एड. एवं बी.एड. पाठ्यक्रमों में Internship का समय अधिक होने के कारण प्रत्येक सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों को 22 क्रेडिट के स्थान पर 20 क्रेडिट में परिवर्तित किया जाए।

विभागाध्यक्ष द्वारा शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक संशोधनों तथा शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सुझावों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की–

- शिक्षा संकाय के सभी पत्रों में Internship में उत्तीर्ण होने हेतु विद्यार्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने अनिवार्य होंगे एवं Internship में अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी को उस पूरे पत्र में अनुत्तीर्ण माना जाएगा।
- स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के प्रत्येक विषय के 3 पत्रों हेतु पृथक्–पृथक् सैद्धान्तिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाए एवं प्रत्येक पत्र के लिए 20 अंकों (कुल 60 अंक) का निर्धारण किया जाए।
- स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के विषयों हेतु अंकों का विभाजन निम्न प्रकार होगा–

Theory	CIA	Practical
60	15	25

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या–परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की।

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

(vii) अंग्रेजी विभाग (Department of English)

विभागाध्यक्ष डॉ. गोविन्द सारस्वत ने एम.ए. अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधनों की जानकारी प्रदान की, जो निम्नानुसार थी–

- प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय पत्र "Literature for Human Values" को पाठ्यक्रम से हटाया गया एवं तृतीय पत्र "Selections from Chaucer to Blake" को द्वितीय पत्र में "Poetry: Chaucer to Milton" शीर्षक से एवं चतुर्थ पत्र "Wordsworth to Eliot" को द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय पत्र "Communication and References Skills" को हटाकर उसके स्थान पर "British Poetry: Romantic Victorian and Modern" शीर्षक से जोड़ा गया। तृतीय पत्र में "Indian English Poetry" एवं चतुर्थ पत्र में "Literary Criticism: Ancient" नामक नवीन पत्र जोड़े गए।
- द्वितीय सेमेस्टर में तृतीय पत्र में "Literature for Indian Values" पत्र के साथ नवीन पत्र "Drama" वैकल्पिक पत्र के रूप में जोड़ा गया एवं चतुर्थ पत्र "New Literature in English" की पाठ्यसामग्री को तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में संबंधित साहित्य के पत्रों के साथ समायोजित की गई एवं इसके स्थान पर "Literary Criticism" नामक नवीन पत्र जोड़ा गया।
- तृतीय सेमेस्टर के प्रथम पत्र "Career Communication Skills" को हटाकर इसके स्थान पर "American Literature" नामक नवीन पत्र एवं द्वितीय पत्र की इकाई "Jawaharlal Nehru – The Discovery of India" को हटाकर इसके स्थान पर "Age of Blindness / Andha Yuga – Dharamveer Bharti" को जोड़ा गया।
- तृतीय सेमेस्टर के तृतीय पत्र "Translation – Theory and Practice" को पंचम पत्र में प्रथम वैकल्पिक पत्र के रूप में जोड़ा गया एवं तृतीय पत्र के रूप में "Literary Criticism" नामक नवीन पत्र को जोड़ा गया।
- तृतीय सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र के द्वितीय वैकल्पिक पत्र "Indian Classics in Translation" की प्रथम इकाई "Bharta: Natya Shastra (Chapter-1)" को द्वितीय सेमेस्टर के पंचम पत्र में समायोजित किया गया एवं द्वितीय इकाई "Shudrak: Mrichhkatikam" को द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र में समायोजित किया गया।
- तृतीय सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र के दोनों वैकल्पिक पत्रों के स्थान पर निम्न दो नवीन पत्रों को सम्मिलित किया गया–
    - "World Classics in Translation" पत्र के स्थान पर "Fiction"
    - "Indian Classics in Translation" पत्र के स्थान पर "Fiction : Indian"
- तृतीय सेमेस्टर के पंचम पत्र के प्रथम वैकल्पिक पत्र "Indian Writing in English Novels & Short Stories" को शीर्षक परिवर्तित कर तृतीय सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र में द्वितीय वैकल्पिक पत्र "Fiction : Indian" के रूप में जोड़ा गया।
- तृतीय सेमेस्टर के पंचम पत्र में द्वितीय वैकल्पिक पत्र "Indian Writing in English: Poetry" के स्थान पर चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय पत्र "English Language Teaching" को जोड़ा गया।
- चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम पत्र "English in India" को हटाकर इसके स्थान पर चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय पत्र की पाठ्यसामग्री को रूपान्तरित कर "Contemporary Critical Theory" नामक नवीन शीर्षक के रूप में जोड़ा गया एवं द्वितीय पत्र के रूप में "African Writing in English" नवीन पत्र को जोड़ा गया।
- चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय पत्र "Literary Theories" के स्थान पर "Contemporary Poetry" नामक नवीन पत्र को जोड़ा गया।
- चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र में प्रथम वैकल्पिक पत्र "Literature of Protest in India" के स्थान पर "Post Colonial Literature" एवं द्वितीय वैकल्पिक पत्र "Folk Literature of India" के स्थान पर "Literature of the Protest" नामक नवीन पत्र को जोड़ा गया, जिसमें प्रथम वैकल्पिक पत्र "Literature of Protest in India" की दो इकाइयों "Om Prakash Valmiki: Joothan" एवं "Faustina Soosairaj Bama: Sangati" को भी समायोजित किया गया।

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष ने पाठ्यक्रम में किये गये संक्षिप्त बदलावों की जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत की। विद्या परिषद् के सदस्यों ने अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर पाठ्यक्रम में अन्य आवश्यक संशोधनों हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रदान किये गए–

- तृतीय सेमेस्टर के द्वितीय पत्र में से हटाई गई "Jawaharlal Nehru – The Discovery of India" इकाई को चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र "Post Colonial Literature" में समायोजित किया जाए।
- चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय पत्र में 'Snow Man' कविता को हटाया जा सकता है एवं कमलादास की किसी एक कविता को शामिल किया जा सकता है।
- पाठ्यक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में दी गई सन्दर्भ पुस्तकों की सूची प्रत्येक संबंधित पत्र के अंत में दी जाए।

विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों हेतु सदन द्वारा प्रदत्त नवीन सुझावों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।

विभागाध्यक्ष ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे विद्या परिषद के सदस्यों ने सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक एवं समान संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(viii) आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय (Acharya Kalu Kanya Mahavidyalaya)

महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्या डॉ. अमिता जैन द्वारा सत्र 2017–18 में महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय प्रारम्भ किये जाने एवं इस हेतु बी.एससी.–बी.एड. में संचालित बी.एससी. के पाठ्यक्रम को ही लागू किया जाने तथा कला एवं वाणिज्य संकाय के पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधनों तथा कला संकाय में नवीन विषय 'राजस्थानी साहित्य' को जोड़े जाने की जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत की। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर कुछ नवीन संशोधन भी सुझाए। विद्या परिषद् द्वारा निम्न निर्णयों के साथ सभी आवश्यक संशोधनों एवं विज्ञान संकाय प्रारम्भ किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई–

- कला संकाय के किसी भी वैकल्पिक–पत्र का न्यूनतम 15 विद्यार्थियों द्वारा चयन किये जाने पर ही सत्र में उस वैकल्पिक–पत्र का अध्यापन करवाया जाएगा। संस्थान के केवल Core विषयों–जैन विद्या; संस्कृत; प्राकृत; अहिंसा एवं शांति; तथा योग एवं जीवन–विज्ञान हेतु यह नियम लागू नहीं होगा। यही व्यवस्था विज्ञान संकाय पर भी लागू होगी।
- कला संकाय के सेमेस्टर–6 में 'हिन्दी साहित्य' विषय के पत्र का शीर्षक 'प्रयोजनमूलक हिन्दी एवं अनुवाद' को अध्ययन मण्डल द्वारा 'हिन्दी भाषा एवं काव्यांग विवेचन' शीर्षक के रूप में परिवर्तित किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया, जिसे विद्या परिषद् द्वारा परिवर्तित न करते हुए पूर्ववत 'प्रयोजनमूलक हिन्दी एवं अनुवाद' रखे जाने का निर्णय लिया।
- वाणिज्य संकाय के सेमेस्टर–5 के द्वितीय पत्र का शीर्षक "Industrial Law" को अध्ययन मण्डल द्वारा "Economical Law" शीर्षक के रूप में परिवर्तित किये जाने का अनुमोदन किया, जिसे विद्या परिषद् ने परिवर्तित करते हुए "Industrial and Economical Law" किये जाने का निर्णय लिया।
- विज्ञान संकाय के प्रत्येक विषय के 3 पत्रों हेतु पृथक्–पृथक् सैद्धान्तिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाए एवं प्रत्येक पत्र के लिए 20 अंकों (कुल 60 अंक) का निर्धारण किया जाए।
- विज्ञान संकाय के विषयों हेतु अंकों का विभाजन निम्न प्रकार होगा–

Theory	CIA	Practical
60	15	25

प्राचार्या द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

(ix) दूरस्थ शिक्षा (Distance Education)

- दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी ने अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधनों की जानकारी सदन को दी। प्रो. नलिन शास्त्री द्वारा सत्रीय–कार्य हेतु प्रस्तावित नई प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पाठ्यक्रम के प्रत्येक पत्र में से 15 निबन्धात्मक प्रश्नों का चयन कर विद्यार्थियों को उसी चयनित समूह में से अपनी रुचि के स्नातक स्तर पर 3 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 4 प्रश्न हल करने हेतु संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का सुझाव दिया, जिसे विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृत किया गया।
- बी.पी.पी. के नवीन संशोधित पाठ्यक्रम में दो पत्रों के स्थान पर पांच पत्रों के समावेश को स्वीकृति प्रदान की गई। पूर्व पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजना के नियमानुसार यदि विद्यार्थी अपने दोनों पत्रों में अनुत्तीर्ण रहता था तो उसे आगामी वर्ष में सभी प्रश्न–पत्रों की पुनः परीक्षा देनी होती थी, जबकि वर्तमान संशोधित पाठ्यक्रम में पांच पत्र हैं अतः विद्यार्थी के उत्तीर्ण पत्रों को आगामी वर्ष में भी उत्तीर्ण मानते हुए सिर्फ अनुत्तीर्ण पत्रों हेतु ही पुनः परीक्षा दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे विद्या परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।
- निदेशक प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी ने विद्यार्थी द्वारा परीक्षा–परिणाम की घोषणा तक सत्रीय कार्य जमा नहीं करवा पाने की स्थिति में विद्यार्थी को सत्रीय कार्य जमा करवाने हेतु कुछ दिवस का अन्तिम अवसर दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया, एतदर्थ विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम रोककर विद्यार्थी को सत्रीय कार्य जमा करवाने हेतु अन्तिम अवसर के रूप में परीक्षा परिणाम की घोषणा से अधिकतम 45 दिन का समय दिये जाने की सदन द्वारा स्वीकृति दी गई। सदन द्वारा रोके जाने वाले परीक्षा परिणामों को "RW" (Result Withheld – Due to Assignment) के रूप में दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु उत्तीर्णांक प्रत्येक पत्र हेतु 36 प्रतिशत एवं सभी पत्रों हेतु सामूहिक रूप से 40 प्रतिशत होंगे।

(x) शोध (Research)

सहायक शोध–निदेशक डॉ. जितेन्द्र वर्मा द्वारा सदन को जानकारी प्रदान की गई कि संस्थान द्वारा अपनी शोध–नियमावली में नवीन UGC Research Regulation 2016 एवं यूजीसी के शोध संबंधी सभी आवश्यक नियमों को भी शामिल किया गया है एवं इनकी पूर्ण अनुपालना की जा रही है। नये शोध नियमों के अनुसार RAC (Research Advisory Committee) का गठन किया गया है एवं Research Regulation 2009 के अनुसार आयोजित किये जाने वाले Course Work की परीक्षा–आयोजना में संबंधित विभाग के विषय का एक प्रश्न–पत्र भी शामिल किया गया है।

- RET परीक्षा में पूर्व में उत्तीर्णांक 55 प्रतिशत अंक थे, जिसे संशोधित कर वर्तमान में उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत अंक को स्वीकृति प्रदान की गई।
- अहिंसा एवं शांति विभाग में पी–एच.डी. शोधार्थियों हेतु अहिंसा एवं शांति विषय की वार्षिक फीस 10,000/– एवं राजनीति विज्ञान विषय की वार्षिक फीस 15,000/– तथा योग एवं जीवन विज्ञान विभाग में पी–एच.डी. शोधार्थियों हेतु नवीन वार्षिक फीस 15,000/– किये जाने का प्रस्ताव रखा गया।
- शोध हेतु विभागवार पूर्व प्रस्तावित विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित नवीन विषयों को Allied विषय के रूप में शामिल किये जाने का प्रस्ताव रखा गया–
  - जैनविद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन विभाग–हिन्दी एवं राजस्थानी
  - प्राच्य विद्या एवं भाषा विभाग–अपभ्रंश तथा हिन्दी विषय से पीएच.डी. हेतु–हिन्दी, राजस्थानी
  - अहिंसा एवं शांति विभाग–मूल्य शिक्षा, शांति शिक्षा, हिन्दी, इतिहास तथा लोक प्रशासन
  - जीवन विज्ञान विभाग–शिक्षा, संस्कृत, समाजशास्त्र तथा शारीरिक शिक्षा
  - समाज कार्य विभाग–मानवाधिकार, लैंगिक अध्ययन, समाजशास्त्र, ग्रामीण विकास तथा मानव संसाधन प्रबंधन।
- शोध–निर्देशक के रूप में डॉ. समणी हिमप्रज्ञा एवं डॉ. गोविन्द सारस्वत की स्वीकृति प्रदान की गई।

सदन ने प्रस्तावित एम.फिल./पीएच.डी. अध्यादेश–2016 के बिन्दु–21 (Unfair Means and Plagiarism) हेतु माननीय कुलपति महोदय को स्थाई समिति (Standing Committee) के निर्माण

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

हेतु अधिकृत किया गया। सदन द्वारा नवीन शोध–नियमानुसार विश्वविद्यालय में सभी पूर्णकालिक शोधार्थियों से Stamp Paper पर किसी अन्य स्थान पर कार्य न करने की Undertaking लेने का सुझाव दिया गया। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित नवीन शोध अध्यादेश–2016 को उपरोक्त सभी परिवर्तनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।

(04) संस्थान के MOA में निर्दिष्ट विद्या परिषद् के संगठन में बिन्दु संख्या–9 की अनुपालना में (तीन सदस्य जो संस्थान के शैक्षणिक सदस्य नहीं होंगे एवं विद्या–परिषद् द्वारा उनके विशेष ज्ञान के आधार पर नियुक्त किये जाएँगे) पूर्व में नियुक्त तीनों विद्वानों का द्विवर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने पर विद्या परिषद् द्वारा उनके स्थान पर निम्न तीन विद्वानों को आगामी दो वर्ष हेतु विद्या–परिषद् सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई–

1. प्रो. के.एस. भारती, नागपुर, महाराष्ट्र
2. प्रो. भागचन्द जैन 'भास्कर', नागपुर, महाराष्ट्र
3. प्रो. ए.के. मलिक, जोधपुर

(05) अहिंसा एवं शांति विभाग में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापकों हेतु निम्न प्रकार पदों की स्वीकृतियां प्रदान की गईं–

- आचार्य (Professor)–01
- सह–आचार्य (Associate Professor)–01
- सहायक–आचार्य (Assistant Professor)–02

(06) प्राच्य विद्या एवं भाषा विभाग में संस्कृत प्राध्यापक (सहायक–आचार्य) पद की स्वीकृति प्रदान की गई।

(07) संस्थान में शिक्षा विभाग में वर्तमान में संचालित बी.एससी.–बी.एड. पाठ्यक्रम एवं आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय में नवीन सत्र से विज्ञान संकाय प्रारम्भ किया जा रहा है, अतः इस हेतु निम्न पदों की नवीन स्वीकृतियां प्रदान की गईं–

- गणित–01
- भौतिक विज्ञान–01
- रसायन विज्ञान–01
- जीव–विज्ञान–01
- वनस्पति–शास्त्र–01

(08) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव–विज्ञान एवं वनस्पति–शास्त्र की प्रयोगशालाओं में तकनीकी सहायक के पदों हेतु भी स्वीकृति प्रदान की गई।

(09) विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा माननीय कुलपति महोदय को प्रश्न–पत्र निर्माण, उत्तर–पुस्तिका जांच एवं परीक्षा–परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया हेतु विभिन्न विशेषज्ञों के नामों के निर्धारण हेतु निर्णायक के रूप में अधिकृत किया गया।

(10) सदन के समक्ष माननीय कुलपति महोदय के निर्देशन में बनाई गईं निम्न नवीन नियमावलियाँ/मार्गदर्शिकाएँ प्रस्तुत की गईं–Guidelines for Emeritus Professorship, Guidelines for Research Projects एवं Guidelines for Honoris Causa। विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा माननीय कुलपति महोदय के इस कार्य की सराहना की गई एवं इन्हें लागू किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

(11) विभिन्न विभागों में प्रवेश हेतु निर्धारित की गई Intakes की संख्या में निम्न प्रकार संशोधन किया गया–

• सभी स्नातकोत्तर विषय (समाजकार्य, योग एवं जीवन विज्ञान और राजनीतिशास्त्र को छोड़कर)	–	15
• M.A./M.Sc. in Yoga and SOL	–	35
• M.A. in Political Science	–	25
• MSW	–	50
• MA in English	–	15
• B.Com.	–	60
• B.Sc.	–	40
• सभी विभागों में संचालित सभी Diploma एवं PG Diploma	–	15
• Certificate Course in Journalism & Mass Media	–	30
• Certificate Course in Office Automation and Internet	–	30

जिस हेतु विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

(12) कुलसचिव महोदय द्वारा परीक्षा–आयोजना की विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु दिये जाने वाले विभिन्न पारिश्रमिक र संशोधित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया। इस हेतु विद्या–परिषद् के सदस्यों द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों दिये जाने वाले पारिश्रमिक के अनुरूप संशोधित किये जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

(13) सदन के समक्ष उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण के निर्धारण हेतु उपयोग किये जाने वाले सेमेस्टर समाप्ति परीक्षा के अं के साथ सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) के अंकों को जोड़कर उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने र प्रस्ताव रखा गया, जिसे विद्या–परिषद ने स्वीकृत प्रदान की।

(14) सदन द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस में की गई वृद्धियों हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

(15) प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी द्वारा दूरस्थ शिक्षा निदेशालय हेतु अकादमिक परामर्शदाताओं के नामों को स्वीकृ हेतु प्रस्तुत किया गया, जिन्हें विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(16) सत्र 2015–16 के परीक्षा–परिणामों के संदर्भ में परीक्षा–समिति की रिपोर्ट को सदन के समक्ष स्वीकृति हे प्रस्तुत किया गया, जिसे सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(17) सदन द्वारा प्रतिमाह विभिन्न विभागों में प्रसिद्ध विषय–विशेषज्ञों को आमंत्रित कर अतिथि–व्याख्यान आयोजि करवाने का सुझाव दिया गया।

(18) प्रोफेसर दामोदर शास्त्री द्वारा संस्थान के प्रकाशनों की गुणवत्ता में और अधिक सुधार एवं प्रकाशन से प प्रकाशन सामग्री में भाषा की अशुद्धियों एवं सामग्री में तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच हेतु विशेषज्ञों पुनरावलोकन करवाने का सुझाव दिया गया।

(19) विद्या–परिषद के सदस्यों द्वारा दूरस्थ शिक्षा के ऐसे पाठ्यक्रमों, जिनकी पाठ्यसामग्री अभी तक संस्थान द्व तैयार नहीं की गई है, यथाशीघ्र पाठ्यसामग्री के निर्माण करवाने एवं पूर्व निर्मित सामग्री का विषय–विशेष से पुनरावलोकन करवाकर आवश्यक संशोधन करवाने का सुझाव दिया गया।

(20) कुलसचिव महोदय ने विद्यार्थियों को समय–समय पर दी जाने वाली Fellowship और Medals के संबंध सदन के दिशा–निर्देशन हेतु अनुरोध किया गया। विद्या–परिषद् के सदस्यों का मत था कि इस संबंध नियमों का प्रारूप तैयार किया जाए और अनुमोदन के लिए विद्या–परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत कि जाए।

(21) कुलसचिव महोदय ने संस्थान के शैक्षणिक मानकों में निर्देश, मूल्यांकन और सुधार की विधि के सन्दर्भ में स के विचार–विमर्श एवं दिशा–निर्देशन हेतु अनुरोध किया। सदन ने संस्थान द्वारा समय–समय पर शैक्षणि मानकों के मूल्यांकन एवं सुधार हेतु किये जाने वाले प्रयासों को संतोषप्रद बताया एवं इस हेतु किये जाने व प्रयासों को सतत जारी रखने के निर्देश दिये।

(22) सदन द्वारा नवीन नियमित पाठ्यक्रमों हेतु भी शीघ्रातिशीघ्र पाठ्यसामग्री का निर्माण करवाने की सलाह दी गई।

अंत में माननीय कुलपति महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(विनोद कुमार कक्कड़)
कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं
§ मान्य विश्वविद्यालय §

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 11 जून,98 की बैठक का कार्यवृत्त

जैन विश्वभारती संस्थान के प्रबन्ध मण्डल की एक बैठक दिनांक 11 जून,98 को मध्यान्ह 2·30 बजे कुलपति प्रो0 भोपालचंद लोढ़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों ने भाग लिया:-

1· प्रो0 भोपालचंद लोढ़ा,कुलपति	अध्यक्ष
2· श्री ताराचंद रामपुरिया	सदस्य
3· डॉ0 जे·पी·एन·मिश्रा	सदस्य
4· समणी मंगलप्रज्ञा	सदस्य
5· श्री झूमरमल जी बैंगानी	सदस्य
6· श्रीमान श्रीचंद जी बैंगानी	सदस्य
7· श्री भंवरलाल जी डागा	विशेष आमंत्रित
8· श्री जंवरीमल जी बैंगानी	विशेष आमंत्रित
9· डॉ0 बच्छराज दूगड़,कुलसचिव	गैर सदस्य सचिव

सर्वप्रथम कुलपति महोदय द्वारा बैठक में आगन्तुक सदस्यों का स्वागत किया गया ।तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी ।

1· गत बैठक की कार्यवाही निम्न संशोधन के साथ सम्पुष्ट की गयी - कि प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 21·7·96 को आयोजित बैठक के निर्णय संख्या 2 को पुर्नस्थापित कर गत बैठक दिनांक 23·03·98 के निर्णय संख्या 10 को निरस्त रखा जाए ।

2· संस्थान परिसर लाडनूं में संस्थान का कन्या महाविद्यालय खोले जाने हेतु विद्या परिषद के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी तथा विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित नामकरण " **आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय** को सर्व-सम्मति प्रदान की गयी ।

3. विद्या परिषद द्वारा स्वीकृत स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की गयी तथा समाज कार्य एवं जीवन विज्ञान एवं योग के पाठ्यक्रम की स्वीकृति हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।

4· यू·जी·सी· द्वारा मैचिंग ग्रान्ट जब-जब भी संस्थान को प्राप्त होगी उस राशि को कॉपर्स फण्ड में रखे जाने एवं विभिन्न सरकारी संस्थानों की मान्य प्रतिभूतियों में विनियोजन करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी ।

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

5. यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत निम्न शैक्षिक पदों को भरने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी तथा कुछ नये शिक्षकेत्तर पदों के सृजन पर भी स्वीकृति प्रदान की गयी :-

अ. यू.जी.सी.द्वारा स्वीकृत पद - जैन दर्शन एवं तुलनात्मक दर्शन विभाग, प्राकृत भाषा एवं जैनागम विभाग, जीवन विज्ञान एवं प्रेक्षाध्यान तथा योग एवं समाज कार्य विभाग में एक-एक एसोशियेट प्रोफेसर के पद का सृजन ।

ब. नये शिक्षकेत्तर पदों का सृजन

1.	प्रोग्रामर कम ऑपरेटर	एक पद
2.	डी.टी.पी. कम्प्यूटर ऑपरेटर	एक पद
3.	सीनियर कम्प्यूटर ऑपरेटर	एक पद
4.	आशुलिपिक	एक पद
5.	इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर	एक पद

6. पीएच.डी. एवं डी.लिट्. हेतु शोध छात्रवृत्तियों के लिए जैन विद्या और जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान एवं योग विभाग के विभागाध्यक्षों के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के पश्चात् प्रबन्ध मण्डल ने निम्नलिखित निर्णय लिये :-

अ. पीएच.डी. के लिए वर्तमान छात्रवृत्ति के स्थान पर 2250/- रू. तथा विशेष योग्यता रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए पुनः साक्षात्कार द्वारा चयन होने के पश्चात् 3000/- रू. मासिक छात्रवृत्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया ।

ब. डी.लिट्. के लिए वर्तमान छात्रवृत्ति 2500/- रू. के स्थान पर 3500/- रू. एवं विशेष योग्यता रखने वाले विद्यार्थियों के पुनः साक्षात्कार द्वारा चयन होने पर 5000/- रू. प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिये जाने का निर्णय किया गया । यह छात्रवृत्ति अगले सत्र 98-99 में अगस्त माह से प्रभावी होगी ।

7. श्री राजेन्द्र जैन (मोदी) उपनिदेशक प्रसार को वित्ताधिकारी पद पर कार्य करने एवं श्री बी.पी.सिंह उपकुलसचिव (वित्त) को उपकुलसचिव (संस्थापन) दिये जाने के प्रस्ताव पर यह निर्णय किया गया कि यह अधिकार कुलपति का है, वे जैसा उपयुक्त समझे, निर्णय ले सकते हैं ।

अन्त में कुलसचिव ने आगन्तुक महानुभावों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया तथा बैठक समाप्ति की घोषणा की ।

(डॉ0 बच्छराज दूगड़)
कुलसचिव,

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)

जैन विश्वभारती संस्थान,
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत घोषित मान्य विश्वविद्यालय)
लाडनूँ – 341 306 (राजस्थान) भारत

Jain Vishva Bharati Institute
(Declared as Deemed-to-be University under Section 3 of the UGC Act, 1956)
LADNUN – 341 306 (Rajasthan) INDIA

Ref. no. : JVBI/142

Dt. : July 06, 1998

OFFICE ORDER

Whereas, The Vidya Parishad (Academic Council) has resolved unanimously to establish a constituent college, wholly and solely under the administrative control of the JVBI, Ladnun, in its meeting dt. 11.06.1998 at 11.30 a.m. under item no. 2, and

Whereas, the BoM has approved the unanimous resolution of the Vidya Parishad on 11th Day of June, 1998 at 2.30 p.m. under item no. 2, and

Whereas, the BoM has also approved the name of the proposed constituent college as resolved by the Vidya Parishad as **Acharya Kalu Kanya Mahavidyalaya, and**

Therefore, the above said **Acharya Kalu Kanya Mahavidyalaya** is established on the 6th Day of July 1998 on the campus of the JVBI, Ladnun, which will be wholly and solely managed and maintained by the Institute, Initially with two academic programmes (B.A. and B.Com), which would be increased over the period of time.

By order of the Hon'ble BoM.

(B.C. Lodha)
Vice Chancellor
JVBI, Ladnun

Attested

Registrar
Jain Vishva Bharati Institute
Ladnun-341306
Rajasthan (India)